

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, बिलासपुर



Office of the
Sr. Dy. General Manager, Bilaspur.
Tel.No. 64006(Rly), 07752-414229

पत्र सं. No. WS/Engg./PND/19-20/ 2036

दिनांक Dated: 16.09.2019

मंडल रेल प्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर।

विषय: "बिलासपुर डिवीजन में वरि. अनुभाग अभियंता(रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई के अंतर्गत कार्यभार के तुलना में कर्मचारी संवर्ग का कार्य अध्ययन रिपोर्ट।"

- संदर्भ: 1. क्र. WS/Engg/PND/19-20/1129 dtd. 20.05.2019
2. क्र. WS/Implementation/1734 dtd. 06.08.2019

ट्रेक मशीनें के माध्यम से ट्रेक रखरखाव, रेलपथ और उससे संबंधित कार्यों की आउटमोर्सिंग, भारतीय रेलवे वेंचमार्किंग का तुलनात्मक अध्ययन और मानवशक्ति के अनुकूलतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुये बिलासपुर डिवीजन में वरि. अनुभाग अभियंता(रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई का कार्य अध्ययन वर्तमान कार्य भार को देखते हुए मौजूदा संवर्ग की समीक्षा करने के लिए किया गया। ड्राफ्ट अध्ययन रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर को दिनांक 20.05.2019 भेजा गया था, जिसके जवाब में, वरि. मंडल अभियंता (समन्वय), बिलासपुर ने अपने पत्र दिनांक 17.07.2019 में कार्य अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा करने का अनुरोध किया। इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.08.2019 वरि. मंडल अभियंता (समन्वय), बिलासपुर की टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक जांच की गई और इस आशय में कार्य अध्ययन रिपोर्ट को यथावत रख कार्य अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिश को लागू करने की सलाह दी गई है।

कार्य अध्ययन रिपोर्ट में 35 चिह्नित अधिशेष रिक्त पदों [01 पेंटर, 01 ईसीआर, 01 एमवीडी और 32 ट्रेक मेंटेनर] को वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई से अभ्यार्पण करने की अनुशंसा है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त अनुशंसाएं एवं सुझाव भी इसमें सम्मिलित हैं।

इमलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि कार्य अध्ययन रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश दे और अभ्यार्पण ज्ञापन की प्रति इस कार्यालय को भेजी जाये ताकि कार्य अध्ययन के कार्यान्वयन की प्रगति की सूचना रेलवे बोर्ड को दी जा सके।

यह पत्र वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, बिलासपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(एस. एन. पटनाइक) 16/9/2019

सहा. कार्य अध्ययन अधिकारी
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक के लिए

संलग्न: 1 कार्य अध्ययन रिपोर्ट।

प्रतिलिपि: कार्य अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति के साथ

1) कार्यकारी निदेशक, ई एंड आर (एमई), रेलवे बोर्ड।

2) सचिव / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जीएम की जानकारी के लिए।

3) पीसीई / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर प्रकार की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।

4) वरि. मंडल अभियंता (समन्वय) और वरि. कार्मिक अधिकारी बिलासपुर की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

बिलासपुर डिविजन में
वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई
के अंतर्गत कार्यभार के तुलना में
कर्मचारी संवर्ग का कार्य अध्ययन रिपोर्ट



द क्षि ण पू र्व म ढ य रेल वे

बि ला स पु र

कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ

बिलासपुर डिविजन में वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड
इकाई के अंतर्गत कार्यभार के तुलना में
कर्मचारी संवर्ग का कार्य अध्ययन रिपोर्ट

मार्गदर्शक

श्री अमित कुमार सिंह

वरि.उप महा प्रबंधक

एस एन पटनायक

सहा. कार्य अध्ययन अधिकारी

के नेतृत्व में

द्वारा

श्री ए सी बेहेरा
मुख्य कार्य अध्ययन निरीक्षक

श्री अंशुमान हालदार
कार्य अध्ययन निरीक्षक

कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
बिलासपुर
अध्ययन संख्या
SEC/10/2019 - 20

विषय-सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
-	अनुशंसाओं एवं सुझाव का सारांश	02
I	परिचय	03 - 07
II	अवलोकन	08 – 46
III	आलोचनात्मक विश्लेषण एवं अनुशंसा	47 – 53
IV	वित्तीय मूल्यांकन	54

अनुशंसाओं एवं सुझाव का सारांश

सं.	विवरण	पैरा
	अनुशंसाएं:	
1.	मौजूदा कार्य भार को देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि पैरा 3.4.1 से 3.8 में दिए गए विवरण के अनुसार , वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई के तहत कुल संवर्ग की आवश्यकता स्वीकृत 350 पदों के विरुद्ध 315 आती है। इस प्रकार 35 चिन्हित अधिशेष रिक्त पदों [01-पेंटर, 01-ईसीआर, 01-एमवीडी और 32- ट्रेक मेंटेनर] को वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई से अभ्यार्पण करवाना चाहिए।	3.11.1
2.	ट्रेक मेंटेनर के रिक्त पदों के अभ्यार्पण के बाद मनी वैल्यू का उपयोग ट्रेक मशीन के रख-रखाव कार्य के लिए आवश्यक पदों के सृजन के लिए किया जा सकता है।	3.11.2
3.	पर्यवेक्षकों श्रेणी में वरि. अनु. अभियंता/कनि. अभियंता (रेलपथ) के रिक्त पद, कारीगर वर्ग, ट्रेक मेंटेनर श्रेणी के पद संविदात्मक और विभागीय सिविल इंजीनियरिंग कार्य के बेहतर निगरानी के लिए भरा जाना चाहिए।	3.11.3
4.	दृश्यता के लिए ट्रेक और नाली की सफाई, बोर्ड/रेल की पेंटिंग, नियंत्रण रेखा गेट के मरम्मत और ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना की तरह रेलपथ से कुछ गतिविधियों में 80% तक आउटसोर्स और विभागीय के माध्यम से शेष 20% कराया जा सकता है।	3.11.4
	सुझाव:	
1.	ट्रेफिक ब्लॉक पटरियों के रखरखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है; यह बताया गया कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ब्लॉक को मंजूरी देना बहुत कठिन काम है। आवश्यकतानुसार ब्लॉक के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए।	3.11.5
2.	जरूरत के अनुसार आपातकालीन कार्य को पूरा करने के लिए मोबाइल मेंटेनेंस गैंग की स्थापना की जा सकती है।	3.11.6

अध्याय – I

1.0 परिचय:

सिविल इंजीनियरिंग अधिसंरचना भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा स्टेटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा निर्मित ट्रैक, पुल, भूमि आदि शामिल है, इन सभी अधिसंरचनाओं का प्रबंधन करता है।

रेलपथ संगठन संभागीय स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग विभाग का एक हिस्सा है, जो वरि. मंडल अभियंता (समन्वय) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और समतुल्य अधिकारी इसमें सहयोग करते हैं। अधिकारियों के अधीनस्थ वरिष्ठ अनुभाग अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता(अनुभागीय सीपीडब्ल्यूआई / पीडब्ल्यूआई) आवंटित विशेष खंड में ट्रैक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और वो रेलपथ यूनिट्स / डिपो के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता(प्रभारी) के अंतर्गत कार्य करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी ट्रैकमैन, मेट, कीमैन और कारीगर कर्मचारियों की मदद से ट्रैक का रखरखाव किया जाता है। ट्रैक का रखरखाव सुरक्षा और समय की पाबंदी के संबंध में ट्रेन के काम में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और ट्रेनों के सुरक्षित चलने के लिए इंजीनियरिंग मापदंडों का उपयोग करके ट्रैक के मानक को बनाए रखना इंजीनियरिंग विभाग का कर्तव्य है। इस तरह इंजीनियरिंग विभाग रेलवे प्रणाली की रीढ़ है।

गैंग-मेट की देखरेख में ट्रैकमैनो से गठित गैंगो द्वारा रेल पथ का रखरखाव काफी हद तक किया जाता है। गैंग अपने नियत खंड (गैंग बीट) में ट्रैक का निरीक्षण करने और सामान्य दिनचर्या के रखरखाव का कार्य करते हैं। अनुभाग के आवंटित विशेष खंड में ट्रैक की पैदल दृष्टिक निरीक्षण करने के लिए अलग से एक पेट्रोलमैन को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

गैंगमैन और गश्ती दल द्वारा निगरानी किए जाने वाले अनुसूची और ट्रैक अनुभागों को संभागीय अभियंता द्वारा तैयार गश्ती चार्ट में निर्दिष्ट किया गया है। ये चार्ट इस बात का भी संकेत देते हैं कि शेड्यूल में चलने वाली गाड़ियों के चालक कब और कहां से गैंगमैन/पैट्रोल मैन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, वे पैट्रोल बुक्स ले जाते हैं जिसमें वे ट्रैक की स्थिति और उस पर उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी रखरखाव को रिकॉर्ड करते हैं।

गैंग छोटी समस्याओं को हल करने के लिए सुसज्जित है जैसे कि गेज में छोटे विचलन को ठीक करना या रेल की ऊंचाई बढ़ाना, ट्रैक का डाइविंग, क्षतिग्रस्त स्लीपरों को बदलना, गिट्टी को फिर से व्यवस्थित करना, इत्यादि। यदि समस्या बड़ा हो, जो आसानी से न किया जा सकता हो और स्थायी तरीके से समाधान खोजना पड़े तो समस्या का विवरण निकटस्थ ब्लॉक स्टेशनों के स्टेशन मास्टरो को सूचित किया जाता है, और ट्रैक के लिए अस्थायी इंजीनियरिंग गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उस खंड से गुजरने वाली ट्रेनें तब स्टेशनों द्वारा जारी किए गए सावधानी के आदेश (काशन ऑर्डर) के अधीन होती हैं।

एक अनुभाग के लिए रेलपथ निरीक्षक (पीडब्ल्यूआई) के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत रेलपथ के रखरखाव के लिए अंतिम जिम्मेदारी है। पीडब्ल्यूआई और उनके कर्मचारियों ने ट्राली में अक्सर विभिन्न

लाइनों के अलग-अलग नियमित निरीक्षण दौरे किए जाते हैं। अतीत में हाथ रूप से धक्का दिया ट्रॉलियों का उपयोग अक्सर किया जाता था, लेकिन उनका उपयोग अब घट रहा है।

1.1 वर्तमान परिदृश्य:

आधुनिकीकरण के दौर में रेलपथ संपत्ति (जैसे पीएससी स्लीपर की शुरुआत, आधुनिक औजार और संयंत्र का उपयोग आदि) को उन्नत करने के लिए नवीनतम तकनीक / कार्य संस्कृति (जैसे मैकेनाइज्ड मेंटिनेंस की शुरुआत, आउटसोर्सिंग लागू करना, निरर्थक गतिविधियों को समाप्त करना आदि) को अपनाकर रेलवे प्रणाली में आधुनिकीकरण आज की आवश्यकता बन गया है ताकि लंबी गाड़ियों को सुरक्षित और बेहतर परिचालन स्तर देकर शत प्रतिशत उत्पादकता प्राप्त करने और रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने में मदद मिल सके। ट्रैक के आधुनिकीकरण में भारी ट्रैक संरचना, लंबी वेल्डेड रेल, ट्रैक रखरखाव के आधुनिक यंत्रीकृत तरीके और ट्रैक आदि के त्वरित नवीनीकरण शामिल हैं।

1.2 बेंचमार्किंग:

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, श्रमशक्ति को भारतीय रेल औसत श्रमशक्ति अनुपात के स्तर पर लाया जाना है और फिर श्रेष्ठ श्रमशक्ति अनुपात (आईआर बेंचमार्क) से तुलात्मक अध्ययन किया जाये। निदेशक (ईएंडआर) / रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मार्च 2019 की श्रमशक्ति उत्पादकता अनुपात रिपोर्ट की नवीनतम बेंचमार्किंग के अनुसार, रेलपथ विभाग का आईआर बेंचमार्क 0.77 पुरुष प्रति ईटीकेएम है जबकि बिलासपुर डिवीजन के रेलपथ विभाग का बेंचमार्क 1.04 है जो आईआर बेंचमार्क श्रमशक्ति अनुपात से अधिक है। बेंचमार्किंग रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियरिंग गेटमैन की वर्तमान IR औसत बेंचमार्क, श्रमशक्ति प्रति गेट 2.30 है जबकि बिलासपुर डिवीजन के गेटमैन की बेंचमार्किंग 2.76 श्रमशक्ति प्रति गेट है जो भारतीय रेल औसत श्रमशक्ति अनुपात से ऊपर है।

1.3 बिलासपुर मंडल में रेलपथ यूनिट वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / पेंड्रारोड का विवरण :

रेलपथ, इंजीनियरिंग विभाग/बिलासपुर मंडल को सत्रह वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) इकाइयों में विभाजित किया गया है और इन इकाइयों को रेलपथ संबंधित कार्यों को अंजाम देने के लिए विभिन्न संख्याओं में गैंग सेक्शन में उप-विभाजित किया गया है। वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड यूनिट की संक्षेप जानकारी निम्नानुसार दिया गया है:

सं.	मद	विवरण
1.	खंड	डबल लाइन (बीजी अनुभाग)*
2.	क्षेत्राधिकार	796/43 - 868/12
3.	टीकेएम	129.120
4.	डी टी एम / गैंग की कुल संख्या	गैंग -13स्टोर गैंग -01
5.	गैंग अधिकार क्षेत्र	6-8 Km
6.	इंजीनियरिंग एलसी गेट्स की संख्या	06
पेंड्रारोड- खोडरी के बीच मार्च 2019 को डबल लाइन का कार्य पूरा हुआ।		

1.3 संदर्भ की शर्तें:

अध्ययन के संचालन के लिए संदर्भ की निम्नलिखित शर्तें अपनाई गईं: -

- I. कर्मचारियों की ताकत की समीक्षा करना मौजूदा कार्यभार को देखना।
- II. आउटसोर्सिंग गतिविधियों।
- III. अपव्यय को खत्म करने के लिए निरर्थक / अनुत्पादक गतिविधियों की पहचान करना।
- IV. आधुनिकीकरण और प्रणाली में सुधार के मद्देनजर मानक सुधारने के तरीके और साधन सुझाना।

1.4 अनुसंधान की पद्धति:


कार्य अध्ययन दल ने रेलपथ विभाग की कर्मचारियों आवश्यकता की आवश्यकता आधारित समीक्षा की। बिलासपुर डिवीजन की पेन्ड्रा इकाई में रेलपथ स्टाफ कुल स्वीकृत संख्या 350 है, वास्तविक संख्या 266 है और रिक्ति 84 है।

कार्य-अध्ययन दल ने अध्ययन को पूरा करने के लिए निम्नलिखित तकनीक को अपनाया है: -

- I. कार्य भार की मात्रा के संदर्भ में इंजीनियरिंग शाखा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन।
- II. कर्मचारियों के काम करने और अधिकारी / पर्यवेक्षक / कर्मचारियों के साथ विवरण में चर्चा के बारे में प्रत्यक्ष टिप्पणियां।
- III. कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन और अन्य गतिविधियों में मौजूदा जनशक्ति का उपयोग।
- IV. एकत्र आंकड़ों का महत्वपूर्ण विश्लेषण।
- V. आधुनिक संदर्भ में कर्मचारी की आवश्यकता के लिए सिफारिशें करना।
- VI. अधिशेष कर्मचारियों के परिणामस्वरूप बचत में शामिल वित्तीय निहितार्थ को पूरा करना।

1.4 मंडल स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग (रेलपथ) का संगठनात्मक चार्ट:

रेलपथ संगठन संभाग स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग का एक हिस्सा है, वरि. मंडल अभियंता (समन्वय)/ बिलासपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।



1.5 बिलासपुर संभाग में विद्यमान रेलपथ इकाईयो का विवरण :

इंजीनियरिंग रेलपथ इकाईयों / बिलासपुर संभाग को पंद्रह वरिष्ठ अनुभाग अभियंता रेलपथ इकाईयों में विभाजित किया गया है। संबंधित रेलपथ इकाईयों का विवरण निम्नलिखित है:-

1. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) ब्रजराज नगर
2. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) रायगढ़
3. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) बाराद्वार
4. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) कोरबा
5. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) चाम्पा
6. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) बिलासपुर
7. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) खोंगसरा
8. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड
9. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) अनुपपुर
10. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) शहडोल
11. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) बिरसिंगपुर
12. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) उमरिया
13. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) बिजुरी
14. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) वैकुंठपुर
15. वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) मनेन्द्रगढ़

द्वितीय अध्याय

2.0 अवलोकन:

2.1 कर्मचारी संबर्ग:

बिलासपुर मण्डल में वरि. मंडल अभियंता (समन्वय) कार्यालय और वरि. अनुभाग अभियंता (रेलपथ) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ)/ पेंड्रारोड में स्वीकृत एवं वास्तविक कर्मचारी संख्या नीचे दिया गया है:

वरि. अनुभाग अभियंता / रेलपथ / KGS:							
वर्ग	सं.	पद	स्केल	जीपी	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति
सुपरवाइजरी	1	वरि. अनुभाग अभियंता	9300 - 34800	4600	07	02	05
	2	कनिष्ठ अभियंता	9300 - 34800	4200	04	09	-05
	सब कुल					11	11
लिपिकीय	3	मु. कार्यालय अधीक्षक	9300 - 34800	4600	02	01	01
	4	कार्यालय अधीक्षक	9300 - 34800	4200	00	01	-01
	सब कुल					02	02
शिल्पकार	5	पेंटर-I	5200 - 20200	2800	01	00	01
	6	एमसीएम - वेल्डर	9300 - 34800	4200	01	00	01
	7	वेल्डर-III	5200 - 20200	1900	00	01	-01
	8	ग्राइंडर - एमसीएम	9300 - 34800	4200	01	01	00
	9	लुटर - एमसीएम	9300 - 34800	4200	00	01	-01
	10	लुटर -I	5200 - 20200	2800	01	00	01
	11	ईसीआर - III	5200 - 20200	1900	01	00	01
	12	ईबीएस - I	5200 - 20200	2800	01	01	00
	13	ईबीएस - II	5200 - 20200	2400	01	00	01
	14	चौकीदार	5200 - 20200	1800	02	01	01
	15	एमवीडी - I	5200 - 20200	2800	01	00	01
सब कुल					10	05	05
ट्रैक मटेनर	15	ट्रैक मटेनर- I	5200-20200	2800	20	11	09
	16	ट्रैक मटेनर- II	5200-20200	2400	41	15	26
	17	ट्रैक मटेनर- III	5200-20200	1900	75	67	08
	18	ट्रैक मटेनर- IV	5200-20200	1800	191	155	36
सब कुल					327	248	79
कुल					350	266	84

2.1.2 गैंगो के हिसाब से कर्मचारी संख्या:

सं	गैंग सं	किमी	स्वीकृत				वास्तविक				रिक्ति			
			मेट	कीमैन	रिक्ति	कुल	मेट	कीमैन	रिक्ति	कुल	मेट	कीमैन	रिक्ति	कुल
1	16K	796/43-802/37	1	1	25	27	1	0	22	23	0	1	3	4
2	17K	796/44-802/38	1	1	23	25	1	0	18	19	0	1	5	6
3	18K	802/38-805/37	1	1	22	24	1	0	18	19	0	1	4	5
4	19K	805/37-810/10	1	1	17	19	0	0	16	16	1	1	1	3
5	20K	810/10-817/01	1	1	15	17	0	1	13	14	1	0	2	3
6	21K	817/01-823/06	1	1	36	38	1	1	24	26	0	0	12	12
7	22K	M/P Gang	1	0	16	17	0	0	10	10	1	0	6	7
8	23K	823/06-829/15	1	1	16	18	1	0	14	15	0	1	2	3
9	24K	829/15-836/04	1	1	22	24	1	0	15	16	0	1	7	8
10	25K	836/04-842/11	1	1	14	16	1	0	15	16	0	1	-1	0
11	26K	842/11-849/02	1	1	15	17	0	1	12	13	1	0	3	4
12	27K	849/02-855/08	1	1	26	28	1	1	17	19	0	0	9	9
13	28K	855/08-861/15	1	1	25	27	1	0	17	18	0	1	8	9
14	29K	861/15-868/12	1	1	18	20	0	0	16	16	1	1	2	4
15	F-10	817/01-823/06	0	0	10	10	0	0	8	8	0	0	2	2
Total	14	13	14	13	300	327	9	4	235	248	5	9	65	79

2.2 वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ)(समग्र प्रभारी), वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ)(अन्य) एवं कनिष्ठ अभियंता के कर्तव्य:

2.2.1 सामान्य उत्तरदायित्व –

वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) सामान्यतः निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है :

- (1) यातायात के लिए संतोषप्रद और निरापद हालत में रेलपथ का अनुरक्षण और निरीक्षण।
- (2) रेलपथ अनुरक्षण से संबंधित सभी कार्यों, जिसमें रेलपथ पुनः बिछाने का कार्य शामिल है, का कुशल निष्पादन।
- (3) अपने प्रभाराधीन भंडार और औजारों का लेखा-जोखा रखना और आवधिक सत्यापन। प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट महत्वहीन स्टेशनों और स्टेशनों के बीच भूमि सीमाओं का अनुरक्षण।

2.2.2 नियमों और विनियमों का ज्ञान –

- (1) प्रत्येक वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) अपने पास निम्नलिखित संहिताओं और नियमावलियों की अद्यतन प्रतियां, अद्यतन सभी शुद्धि पत्रों सहित रखेगा।
 - (i) भारतीय रेल रेलपथ नियमावली, पुल नियमावली और कार्य नियमावली
 - (ii) भारतीय रेल सामान्य और सहायक नियम
 - (iii) भारतीय रेल रेलपथ नियमावली
 - (iv) भारतीय रेल इंजीनियरिंग संहिता
 - (v) आयमों की अनुसूची
 - (vi) उच्च प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये परिपत्र
- (2) वह अपने काम और कर्तव्यों से सम्बन्धित उपर्युक्त संहिताओं और नियमावलियों में दिये गये नियमों, विनियमों और कार्य विधियों की अच्छी जानकारी रखेगा। वह उच्च पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों और अनुदेशों की जानकारी रखेगा और उन पर कुशलतापूर्वक कार्रवाई करेगा।
- (3) वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अन्तर्गत काम करने वाले सभी कर्मचारी सम्बन्धित नियमों और कार्य विधियों से अच्छी तरह परिचित हैं तथा अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करते हैं।

2.2.3 कार्य, पुल तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ समन्वयन

वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) को कार्य, पुल, सिग्नल और बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ, जहां कहीं भी संयुक्त रूप से काम करना हो, घनिष्ठ समन्वय रखना चाहिए।

2.2.4 सामग्रियों का रखरखाव

वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) अपने प्रभाराधीन पटरियों, कुर्सियों, स्लीपरो और अन्य सामग्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोग में न लायी गयी सामग्री को लाइन से दूर समुचित रूप से चट्टे लगाकर रखा गया है ताकि गाड़ियों के निरापद चालन में बाधा न पड़े।

2.2.5 उच्च पदाधिकारियों के निरीक्षणों में साथ जाना

- (1) जब वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) उच्च अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले आवधिक या विशेष निरीक्षणों में साथ जाये तो उसके पास पैरा 119 में निर्दिष्ट संहिताओं और नियमावलियों के अलावा उसके अनुभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित रजिस्टर और प्रलेख होने चाहिए :
 - (क) संचालन समय सारणी
 - (ख) खण्ड और यार्डों के रेलपथ आरेख
 - (ग) अनुभाग रजिस्टर
 - (घ) रेलपथ अभिलेखी/दोलन लेखी चालन के परिणाम
 - (ङ) क्रीप तथा गैप सर्वेक्षण रजिस्टर
 - (च) वक्रों का रजिस्टर
 - (छ) कांटे और क्रासिंगों का रजिस्टर
 - (ज) एस ई जे/बफर रेल रजिस्टर
 - (झ) स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबन्धों की सूची
 - (ञ) निर्माण कार्यों की सूची और अन्य ब्यौरे उच्च अधिकारियों के निरीक्षण नोट अनुपालन नोट सहित

(2) जब रेलपथ वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) इन निरीक्षणों के लिए निम्नलिखित मापक यंत्रों को साथ ले जाने की व्यवस्था करेगा :

- | | |
|----------------------------------|--|
| (क) गेज कम लेवल | (च) मापीय पैमाना |
| (ख) फूलेंजवे गेज | (छ) टेपर्ड गेज। |
| (ग) केन-ए-बोल या लकड़ी की मुंगरी | (ज) आवर्धक लेंस और दर्पण |
| (घ) मछुवाई धागा (फिशिंग कार्ड) | (झ) वरसाइन मापक उपस्कर निरीक्षण हथौड़ा |
| (ङ) फीता टिप | |

2.2.6 रेलपथ के चालन गुणवत्ता की जांच

- (1) वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) रेलपथ की सुरक्षा, सहज चालन, मितव्ययिता और सफाई सम्बन्धी विषयों पर लगातार ध्यान देगा।
- (2) उसे चाहिए कि महीने में कम से कम दो बार किसी तीव्र रेलगाड़ी के इंजन फुट प्लेट पर, महीने में एक बार पिछले ब्रेकयान या अंतिम वाहन में सफर करके चाल की खराबी वाले स्थानों को नोट करे और उन्हें ठीक कराये।
- (3) उसे अपने अनुभाग में चलने वाली रेलपथ अभिलेखी/दोलनलेखी कार के साथ जाना चाहिए और उन स्थानों को नोट करें जहां चालन ठीक न हो तथा दोषों को ठीक करने के लिए कार्रवाई करें।
- (4) उसे नियमित निरीक्षण के समय अपर्याप्त पैकिंग का पता लगाने के लिए रेलगाड़ियों को गुजरते हुए देखकर रेलपथ पर उनके प्रभाव को देखना चाहिए।

2.2.7 रेलपथ का नियमित निरीक्षण -

(1) गैंगों का निरीक्षण -

- (क) वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) को पखवाड़े में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार अधिक बार पुश ट्रॉली द्वारा पूरे अनुभाग का निरीक्षण करना चाहिए।
- (ख) जिन खण्डों पर वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) द्वारा कोई पृथक निरीक्षण नहीं किया जाता है वहां प्रभारी वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) द्वारा प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- (ग) इन निरीक्षणों के दौरान वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) को चाहिए कि :
 - i) गैंग द्वारा पहले किये गये कार्यों की जांच करे और ध्यान दिये जाने योग्य मद्दों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें,
 - ii) गैंग को काम का कार्यक्रम देने की व्यवस्था करे,
 - iii) गैंग चार्ट और डायरियों में रेलपथ अनुरक्षण कार्यों की ब्यौरे दर्ज करें,
 - iv) गैंग की उपस्थिति की जांच करें,
- (घ) कर्मचारियों को अनुरक्षण की पद्धतियों के सम्बन्ध में अनुदेश दे। अपने अधीन हल्की ड्यूटी (चाइनीज प्रकार) टैम्परों सहित सभी छोटी मशीनों को एक पखवाड़े में एक बार उसे परीक्षण करना चाहिए तथा गैंग के औजारों, विशेषकर गेज सह लेवलों, को उन्हें महीने में एक बार परीक्षण करना चाहिए और आवश्यकतानुसार मरम्मत तथा बदलने

की व्यवस्था करनी चाहिए।

vi) गैंग के प्रत्येक आदमी की आवधिक रूप से परीक्षा लेकर उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह संरक्षा नियमों से परिचित है।

(2) समपार निरीक्षण –

(क) उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पटरियों, स्लीपरों और बंधनों की दशा की जांच करने के लिए सभी समपारों को वर्ष में एक बार खोला जाता है और दोष दूर कर दिये जाते हैं।

(ख) वह देखेगा कि आवश्यक स्टॉप बोर्ड, सीटी बोर्ड और अन्य उपस्कर यथानिर्धारित लगाये गये हैं।

(ग) वह महीने में एक बार फाटक वाले के उपस्करकी जांच करेगा। वह आवधिक रूप से उनकी संरक्षा नियमों सम्बन्धी ज्ञान की भी परीक्षा लेगा।

(घ) वह निर्धारित अनुसूची के अनुसार सभी समपारों की गणना की व्यवस्था करेगा।

(3) कांटें और कैंचियों का निरीक्षण –

समग्र प्रभारी वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) और उसके सहायक को क्रमानुसार सवारी लाइनों के कांटें और क्राँसिंगों का 2 महीने में एक बार चक्रानुक्रम में और अन्य लाइनों के कांटें और क्राँसिंगों का 6 महीने में एक बार चक्रानुक्रम में निरीक्षण करना चाहिए।

(4) वक्रों का निरीक्षण –

समग्र प्रभारी वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) और उसके सहायक को 6 महीने में एक बार चक्रानुक्रम में प्रत्येक वक्रों के वरसाइन और बाहरी उठान की जांच करनी चाहिए, परन्तु ब्राड गेज के 'ए' और 'बी' मार्गों पर प्रत्येक 4 महीने में जांच की जानी चाहिए। उन्हें चाहिए कि दर्ज किए गये प्रेक्षण के आधार पर आवश्यकतानुसार वक्रों को ठीक करने के लिए कार्रवाई करे।।

(5) निरीक्षण आरेख –

वरि. अनुभाग/ कनि. अभियंता (रेलपथ) अनुसूचियों के अनुसार महीने के दौरान किये गये सभी निरीक्षणों को निर्धारित प्रोफॉर्मा में एक निरीक्षण आरेख (डायग्राम) तैयार करेगा और प्रत्येक महीने सहायक मण्डल अभियंता के माध्यम से मण्डल अभियंता को प्रस्तुत करेगा। उसमें निरीक्षण अनुसूचियों के अनुपालन में कमी के कारणों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।

2.3 रेलपथ मिस्री के कर्तव्य

2.3.1 सामान्य उत्तरदायित्व –

वे सामान्यतः कार्य की उन मदों के प्रभारी होते हैं, जिनके लिए पर्यवेक्षण का स्तर गैंग मेट द्वारा निष्पादित किया जा सकने से उच्चतर अपेक्षित हो। वे निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्य या जो रेलपथ निरीक्षक द्वारा उनको आबंटित किये गये हैं रेलपथ अनुरक्षण से सम्बन्धित अन्य कार्य को करेंगे :

(i) खराब स्थलों की देखभाल,

(ii) निर्देशित रेलपथ अनुरक्षण,

(iii) एल डब्ल्यू आर रेलपथ का अनुरक्षण यदि उसे सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

(उत्तरदायित्वों की सूची एल डब्ल्यू आर/सी डब्ल्यू आर नियमावली के भारतीय रेल रेलपथ नियमावली के पैरा 13.1.4 में दी गयी है),

(iv) इक्का-दुक्का स्लीपर नवीकरण,

(v) रेल जोड़ों का स्नेहन,

(vi) सामग्रियों की लारियों से ढुलाई, यदि सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस कार्य का वह पर्यवेक्षण कर रहे हों, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह जिम्मेदार होंगे।

2.3.2 नियमों और सिगनलों की जानकारी -

प्रत्येक रेलपथ मिस्री को हाथ और पटाखा सिगनलों की सही जानकारी होगी और निम्नलिखित नियमों से परिचित होगा :

- (i) आपातकाल में और रेलपथ को प्रभावित करने वाले कार्य करते समय लाइन की सुरक्षा करना।
- (ii) पटाखे लगाने की विधि और इनकी सुरक्षा दूरी।
- (iii) रेलगाड़ी विभाजित होने पर की जाने वाली कार्रवाई।
- (iv) 'सुरक्षा पहले' नियम।
- (v) तोड़फोड़ का संदेह होने पर की जाने वाली कार्रवाई।
- (vi) आपात स्थिति में गश्त।
- (vii) ट्रॉली और लॉरी के संचालन नियम, यदि वह उनके परिचालन के लिए प्राधिकृत हो।

2.4 मेट, चाभीवाले और गैंगमैन के कर्तव्य

2.4.1 नियमों और सिगनलों का ज्ञान -

- (1) प्रत्येक मेट, चाभीवाला और गैंगमैन हाथ सिगनलों तथा पटाखों की सही-सही जानकारी रखेगा तथा निम्नलिखित नियमों से परिचित रहेगा:
 - (क) आपात स्थिति में और रेलपथ को प्रभावित करने वाले कार्य करते समय लाइन की सुरक्षा करना।
 - (ख) पटाखे लगाने की विधि और इनकी सुरक्षा दूरी।
 - (ग) रेलगाड़ी विभाजित होने पर की जाने वाली कार्रवाई।
 - (घ) "सुरक्षा पहले" नियम।
 - (ङ) तोड़-फोड़ का संदेह होने पर की जाने वाली कार्रवाई और आपात स्थिति में गश्त लगाना।
- (2) प्रत्येक मेट और चाभीवाला इस बात पर ध्यान देगा कि गैंग को दिये गये सिगनल अच्छी स्थिति में रखे जाते हैं और प्रयोग किये जाने योग्य रहते हैं तथा उसके गैंग के प्रत्येक व्यक्ति को सभी सिगनलों की सही-सही जानकारी है।

2.4.2 लाइन की सुरक्षा -

प्रत्येक मेट इस बात का ध्यान रखेगा कि रेलगाड़ियां गुजरने के लिए उसके कार्य क्षेत्र की लाइन सुरक्षित रहती है। जिन स्थानों (किमी दूरी) पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता हो उन स्थानों पर रेलपथ निरीक्षक के आदेश की प्रतीक्षा किये बिना ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

2.4.3 कार्यस्थल पर उपस्कर -

(1) प्रत्येक मेट यह देखेगा कि उसके साथ कार्य स्थल पर निम्नलिखित औजार और उपस्कर मौजूद हैं-

- (क) लेवल-कम-गेज, गुनिया, डोरी, मीटर छड़ी, चाभी और/या कील ठोकने वाला हथौड़ा, जोड़काबले की चाभी, हाथ सिगनल झंडी के दो सेट, 12 पटाखे, निशान लगाने की खड़िया तथा रेल थर्मामीटर (रात में दो हाथ सिगनल बत्ती)
- (ख) पर्याप्त संख्या में बेलचे या फावडे, गेंती, सब्बल, गिट्टी पंजा या रेक और मसाले के तसले या टोकरियां और लकड़ी का मोगरा।

(2) मेट, अपने प्रभार में टूल बक्स में निर्धारित किये गये अन्य औजार और उपस्कर रखेगा।

2.4.4 मस्टर और गैंग चार्ट/डायरी पुस्तिकाएं -

- (1) प्रत्येक मेट अपने पास मस्टर और गैंग चार्ट/डायरी पुस्तिका रखेगा। गैंग चार्ट को सावधानी पूर्वक निर्धारित कंटेनर में रखा जाना चाहिए।
- (2) सामान्यतः हाजिरी मेट को भरनी चाहिए और रेलपथ निरीक्षक उसकी जांच करके उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- (3) मेट इस बात का ध्यान रखेगा कि रेलपथ अनुरक्षण की निर्धारित प्रणाली का दृढ़ता से पालन किया जाता है और जो कार्य जबानी हिदायतों के अनुसार आबंटित या गैंग चार्ट/डायरी में दर्ज किये जाते हैं और उसे समझाये जाते हैं उनका दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि किये गये कार्य का ब्यौरा मेट अपने गैंग चार्ट/डायरी में दर्ज करने में समर्थ हो तो उसे ऐसा करना चाहिए।

2.4.5 रेलगाड़ी गुजरने के दौरान स्लीपर पैकिंग का प्रेक्षण -

अपने काम के समय में पहली और आखिरी रेलगाड़ियां गुजरते समय मेट और उसके आदमियों को एक दूसरे से लगभग एक पटरी की दूरी पर रेलपथ के किनारे खड़ा हो जाना चाहिए तथा स्लीपरों पर उसका प्रभाव देखना चाहिए। उसके बाद ढीले स्लीपरों पर निशान बनाकर उन्हें पर्याप्त रूप में पैक करना चाहिए। दोहरी लाइनों पर गैंग अनिवार्यतः रेलपथ के एक किनारे खड़ा होगा न कि दोनों रेलपथों के बीच में।

2.4.6 दृश्यता में बाधा पड़ने पर सावधानियां -

- (1) दोहरी और अधिक लाइनों पर वक्रों में, उस रेलपथ को छोड़कर जिस पर गैंग काम कर रहा हो, रेलपथ पर गाड़ी गुजरने के कारण अस्थायी रूप में दृश्यता में रूकावट पड़ती है। और यह स्थिति तब और अधिक खराब हो जाती है जब गाड़ियां एक दूसरे को क्रास करती हैं। एक रेलपथ से गुजरने वाली गाड़ी की आवाज के कारण कार्यस्थल पर पहुंच रही दूसरी गाड़ी की आवाज या सीटी नहीं सुनाई पड़ती है।
- (2) जब किसी ऐसे स्थान पर काम हो रहा हो जहां से कम से कम ब्राड गेज पर 600 मी और मीटर तथा नैरो गेज पर 400 मी की दूरी पर आ रही गाड़ी न दिखाई पड़े तो मेट को चाहिए कि एक गैंग को हाथ सिगनल के साथ :
 - (क) दोहरी लाइन पर, आने वाली गाड़ी की दिशा में भेजे।
 - (ख) इकहरी लाइन पर जिस ओर से दृश्यता में रूकावट पड़ती हो उस दिशा में (यदि दोनों ओर से दृश्यता में बाधा पड़ती हो तो दोनों दिशाओं में) भेजे।ऐसे झंडी वाले का यह कर्तव्य होगा कि जब गाड़ी आ रही हो तो हाथ सिगनल द्वारा मेट को

चेतावनी दे। गैंग को सही समय पर चेतावनी देने के लिए मेट का उत्तरदायित्व होगा जिससे कि वे समय में रेलपथ से हट जाएं। अतिरिक्त सतर्कता की दृष्टि से यह इष्टकर होगा कि भारतीय रेल रेलपथ नियमावली के पैरा 815(2) में निर्दिष्ट प्रकार के हट सकने वाले सीटी बोर्डों को मेट को दिया जाए जिससे वह कार्यस्थल से कम से कम ब्राड गेज पर 600 मी और मीटर तथा नैरो गेज पर 400 मी पर उस दिशा में उसे लगाये जिधर इससे कम दूरी पर दृष्टि में रूकावट पड़ती है। मीटर गेज उच्चगति मार्गों के मामले में प्रशासन के अनुदेशों के अनुसार दूरी समुचित रूप से बढ़ाई जा सकती है।

2.4.7 अनुभाग की स्वच्छता -

मेट इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके गैंग का सारा कार्य क्षेत्र साफ सुथरा रहे तथा इधर-उधर पड़े हुए सभी सामान इकट्ठे करके स्टेशन, गैंग क्वार्टर या फाटक बाक्स पर लाया जाए।

2.4.8 औजारों की निरापद अभिरक्षा -

मेट अपने, चाभीवाले और गैंगमैनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। उसे यह देखना चाहिए कि गाड़ी आते समय काम कर रहे गैंगमैन अपने औजार रेलपथ से अलग हटा लेते हैं। काम समाप्त होने पर मेट को चाहिए कि वह औजारों को औजार बक्स में सुरक्षित रूप से रखे। किसी भी हालत में गैंगमैनों को औजार घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेट को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर के भोजन की छुट्टी से पहले वे अपने औजार रेलपथ से दूर रख के अनुसार लाइन को सुरक्षित करने का प्रबंध करके यातायात सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.4.9 लाइन के असुरक्षित या दुर्घटनाग्रस्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई -

- (1) यदि कोई मेट या चाभीवाला यह समझता है कि लाइन के असुरक्षित होने की संभावना है या रेलपथ या उसकी संरचना में कोई खराबी या असाधारण वर्षा या अन्य किसी घटना के कारण किसी गाड़ी के संकटग्रस्त होने की संभावना है तो वह जैसा भी आवश्यक हो सावधानी से बढ़े" या "रूको" के पैरा 806 में निर्धारित, सिगनलों का प्रयोग करके गाड़ी की सुरक्षा के लिए तात्कालिक कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र निकटतम स्टेशन मास्टर और रेलपथ निरीक्षक को परिस्थिति की रिपोर्ट करेगा।
- (2) दुर्घटना होने पर मेट, चाभीवालों और गैंगमैनों को माल डिब्बों और रेलपथ के टूटे हुए पुर्जों को अपने निगरानी में लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उन्हें देखकर रिकॉर्ड नहीं कर ले तब तक उनको कोई नहीं छेड़ेगा।

2.4.10 असाधारण वर्षा के समय गश्त लगाना -

असाधारण वर्षा के समय चाहे पेट्रोलमैन झूटी पर हो या न हो गैंग क्षेत्र में गश्त लगाने के काम की व्यवस्था मेट को करनी चाहिए। किसी भी क्षति का पता लगने पर पैरा 812 के अनुसार लाइन को सुरक्षित करने का प्रबंध करके यातायात की सुरक्षा करनी चाहिए।

2.4.11 रेलगाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले कार्य प्रारंभ करना -

रेलपथ निरीक्षक या विशेष अनुदेशों द्वारा प्राधिकृत किसी सक्षम रेल कर्मचारी की व्यक्तिगत देखरेख के बिना मेट ऐसा कोई काम प्रारंभ नहीं करेगा जिसमें गाड़ियों के संकटग्रस्त होने की संभावना हो, बशर्ते कि कोई आपात स्थिति न हो जिसमें संरक्षा की दृष्टि से कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक हो। उस

स्थिति में कार्य प्रारंभ होने से पहले मेट यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्दिष्ट दूरियों पर नियमानुसार इंजीनियरी सिगनल प्रदर्शित किए गये हों और आवश्यक उपस्करों सहित फ्लैगमैन तैनात कर दिए गये हों।

2.4.12 मेट द्वारा गैंग के इलाके का साप्ताहिक निरीक्षण -

मेट, गैंग के सारे इलाके का सप्ताह में एक बार निरीक्षण करेगा। उस दिन वह चाभी वाले(कीमैन) का कार्य करेगा और चाभीवाला गैंग का इंचार्ज रहेगा।

2.4.13 अनाधिकृत प्रवेश और रेलपथ बंधनों के चोरी की रोकथाम -

प्रत्येक मेट और उसके आदमी अपने कार्यक्षेत्र की रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों या पशुओं को रोकने का प्रयत्न करेगा और जब कभी वे कोई अनाधिकृत प्रवेश या संरचना का प्रयत्न होते देखें तो उसकी रिपोर्ट करें। उसे अपने गैंग के साथ मिलकर रेलपथ फिटिंगों की चोरी की रोकथाम का भी प्रयास करना चाहिए और चोरी के किसी भी प्रयास की रिपोर्ट अपने रेलपथ निरीक्षक को करनी चाहिए।

2.4.14 आपातकाल के दौरान राहत प्रबंध -

चाभी वाले(कीमैन), फाटक वाले, पेट्रोलमैन या पहरेदार जब बीमारी के कारण अपने कार्य करने में असमर्थ हों तो मेट उनके लिए तुरन्त व्यवस्था करेगा।

2.4.15 डाक-तार कर्मचारियों की सहायता -

जहां प्रत्यक्ष दृश्य कारणों से तार लाइनों में रूकावट हो जाए वहां रेलपथ कर्मचारियों की सभी संभव सहायता करनी चाहिए। उदाहरणार्थ कर्मचारियों को जब तूफान के बाद पेड़ की शाखाएं तारों से जुड़ती दिखाई पड़े तो उन्हें अवश्य हटा देना चाहिए। जहां तार टूटे या उलझे हुए दिखाई पड़े वहां ऐसी घटना की रिपोर्ट निकटतम स्टेशन मास्टर से करनी चाहिए।

2.4.16 रेलगाड़ियों की सुरक्षा में सहायता -

किसी दुर्घटना की स्थिति में स्टेशनों के बीच गाड़ियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी के गाड़ों और ड्राइवरों द्वारा सहायता मांगे जाने पर मेट और उसके आदमियों को उनकी सहायता करनी चाहिए।

2.4.17 कुहासा सिगनल लगाने में सहायता-

खराब या धुंधला दिखाई देने के समय, स्टेशन मास्टर द्वारा मांग करने पर स्टेशन के आगमन सिगनल के पीछे पटाखा रखने के लिए यार्ड गैंग का मेट दो गैंग मैन, यदि उपलब्ध हो तो, तैनात करेगा।

2.4.18 एल डब्ल्यू आर रेलपथ में मेट के उत्तरदायित्व-

एल डब्ल्यू आर सेक्शनों में मेट के कर्तव्य व उत्तरदायित्व एल डब्ल्यू आर नियमावली में दिए गये हैं।

2.5 चाभी वाले(कीमैन) के कर्तव्य

चाभी वाले(कीमैन) का चयन और उनका प्रशिक्षण-गैंगमैन का चुनाव चाभी वाले(कीमैन) के कार्य को संपन्न करने के लिए मेट के रूप में प्रशिक्षण की एक सीढ़ी समझा जाना चाहिए। एल डब्ल्यू आर/सी डब्ल्यू आर खण्ड पर केवल उसी चाभी वाले(कीमैन) की बहाली की जाएगी जिसे क्षेत्रीय/मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कंक्रीट स्लीपर पर एल डब्ल्यू आर/सी डब्ल्यू आर को बिछाने एवं उसके अनुरक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त हो तथा जिसके पास क्षेत्रीय/ मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जारी वैध सक्षमता प्रमाण-पत्र हो।

(1) चाभी वाले(कीमैन) द्वारा दैनिक निरीक्षण चाभी वाले(कीमैन) पूरे बीट के रेलपथ एवं पुल

दोनों का पैदल निरीक्षण दिन में एक बार करेगा। इकहरी लाइन होने की स्थिति में, चाभी वाले(कीमैन) ने जिस रेल की दिशा में पहले लाइन का निरीक्षण किया है लौटते समय उसकी विपरीत रेल की दिशा में लाइन का निरीक्षण करेगा। दोहरी लाइन पर सुबह के समय चाभी वाला अप लाइन की दिशा में जाते हुए एक बार निरीक्षण करेगा तथा लौटते समय डाउन लाइन की तरफ निरीक्षण करेगा। गैंग छुट्टियों तथा विश्राम के दिन, वह नियमित कार्य करेगा और सप्ताह में एक दिन का विश्राम लागू रोस्टर के हिसाब से लेगा। छुट्टी के दिन, अनुपस्थिति में, छुट्टी में या बीमारी में, एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी गैंगमैन स्थायी गैंगमैन की जगह लगाना चाहिए।

- (2) चाभी वाले(कीमैन) के रोस्टर झूटी घंटे-सर्दियों में चाभी वाले(कीमैन) की झूटी के घंटों की कार्य सूची का इस तरह से समायोजन करना चाहिए कि रेलपथ का निरीक्षण बिल्कुल सुबह में ही एक चक्कर में किया जा सके ताकि प्रातःकाल में निरीक्षण करने से रात्रि या भोर में रेल या वेल्डिंग में हुई टूटन का पता लगाया जा सके। खण्ड का मण्डल अभियंता/वरिष्ठ मण्डल अभियंता नियत समय एवं प्रत्येक खण्ड के लिए काल अवधि का निर्णय करेगा एवं नोटिस देगा।

2.5.1 चाभी वाले(कीमैन) के उपस्कर -

चाभी वाला व्यक्ति राउंड पर अपने साथ दो लाल झण्डी, एक हरी झण्डी, दस पटाखे, मानव रहित समपार के लिए यदि आवश्यकता हो तो एक फ्लैज वे गेज, एक की-हैमर और एक स्पाइक-हैमर, एक फिश बोल्ट स्पैनर और दो फिश बोल्ट अतिरिक्त फिटिंग्स और 30 मिमी का रेल क्लोजर रखेगा। जहां लागू हो वहां इलास्टिक रेल क्लिप को स्नेहन करने के लिए चाभी वाला अपने साथ एक तार का ब्रुश, रेगमाल पेपर (इमरी पेपर), एक डस्टर एवं ग्रीज रखेगा।

2.5.2 चाभी वाले(कीमैन) के कर्त्तव्य -

- (1) पैदल चलते हुए चाभीवाला, त्रुटियों जैसे ढीला फिश बोल्ट, काटा व कैंची में बंधन, एस ई जे, गर्डर और ओपेन टॉप पुलिया की बंधन, टूटे एवं जले हुए स्लीपर, टूटी हुई प्लेटें या टाईबार पर आवश्यकतानुसार ध्यान देगा। यदि वह पाता है कि सुधार करने के बाद भी बंधन लगातार ढीली हो जाती है तो वह इसकी रिपोर्ट मेट, पी डब्ल्यू एम और रेलपथ निरीक्षक को करेगा। यदि खराबी चिन्ताजनक हो तो नियमानुसार यदि आवश्यक हो तो वह इसकी सूचना तुरंत लाइन का संरक्षण करने वाले गैंग के मेट को देगा।
- (2) यू एस एफ डी कार्य दल द्वारा अवलोकन करने के लिए चिन्हित किए गए रेलों एवं वेल्डिंगों पर वह विशेष ध्यान देगा।
- (3) वह किसी प्रकार के खतरे की अवस्था जैसे, टूटे हुए रेल, टूटी हुयी वेल्डिंग या गिट्टी का बह जाना, व्यापक मात्रा में फिटिंग्स की चोरी इत्यादि का अवलोकन करता है तो वह तुरन्त नियमानुसार लाइन का संरक्षण करेगा और संभावित सभी कार्यवाही करेगा और इस बात की रिपोर्ट मेट, नजदीक के स्टेशन मास्टर एवं रेलपथ निरीक्षक को करेगा।
- (4) मानव रहित क्रॉसिंग पर वह चेकरेल और रनिंग लाइन को रूकावट रहित एवं फ्लैज वे क्लियरेंस बनाए रखेगा।

- (5) वैसे रेलपथ जिस पर लचीले बंधक नहीं लगे हैं चाभीवाला पूरे कार्य क्षेत्र पर सामान्य तरीके से निरीक्षण करने और ढीले फिटिंग्स को कसने के अलावा प्रत्येक दिन एक लाइन पर दो टेलीग्राफ के खंभे के बीच की फिटिंग्स का समुचित ढंग से निरीक्षण करेगा। उस विशेष दिन निरीक्षण के दौरान वह दो टेलीग्राफ के खंभे के बीच में आने वाले प्रत्येक बोल्ट और फिटिंग्स को कसने का कार्य करेगा। गुम हो गयी चाभी और अन्य फिटिंग्स को वह ठूड़ेगा। वह फिटिंग्स को सही तरीके से लगाने का कार्य सुनिश्चित करेगा।
- (6) (क) जहां चाभी वाले(कीमैन) की बीट में पी आर सी स्लीपर शामिल हैं - वहां चाभी वाले(कीमैन) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निरीक्षण एवं बंधनों को कसने के अपने सामान्य कर्तव्य के अलावा एक छोर से। सुव्यवस्थित तरीके से 20 स्लीपर प्रति दिन के दर से ई आर सी एवं इन्सर्ट के छेदों की ग्रीजिंग भी करे। ग्रीजिंग भारतीय रेल रेलपथ नियमावली के पैरा 1411 (ख) में दी गई पद्धति के अनुसार की जायेगी।
(ख) जहां चाभी वाले(कीमैन) की बीट में पी आर सी स्लीपर के साथ साथ दूसरे प्रकार के स्लीपर भी शामिल हैं, खण्ड इंजीनियर (रेलपथ) को चाहिए कि बीट के समानुपात में चाभी वाले(कीमैन) का मासिक रोस्टर बनाये ताकि भारतीय रेल रेलपथ नियमावली के पैरा 170(5) तथा 170(6) (क) में वर्णित कार्य क्रमशः लम्बाई में पूरा किया जा सके। फिर भी किसी विशेष दिन वह (चाभी वाला) केवल या तो पैरा 170 (5) अथवा 170 (6)(क) के अनुसार कार्य करेगा।
- (7) चाभी वाला, एक गैंग मैन की सहायता से रेल के छोरों का निरीक्षण, फिश प्लेट लगे जोड़ों का स्नेहन रेलपथ निरीक्षक/रेलपथ मिस्त्री के निर्देशानुसार करेगा।
- (8) रेलगाड़ी को रोकने के बाद या जहां कहीं सुरक्षा की जरूरत हो, कॉशन लगाने के लिए, चाभी वाले(कीमैन) को रेलपथ निरीक्षक द्वारा साइक्लोस्टाइल पर्ची प्रदान की जाएगी। चाभी वाला पर्ची पर स्थान का नाम एवं गति लिखकर उसको ड्राइवर या ए एस एम को सौंप देगा और उसकी पावती प्राप्त करेगा।
- (9) एल डब्ल्यू आर/सी डब्ल्यू आर वाले क्षेत्रों में चाभी वाले(कीमैन) की विशेष ड्यूटी एवं जिम्मेदारियां निम्न प्रकार से हैं-
- (i) एस ई जे का आवधिक (पखवारे में एक बार) तेलरोगन एवं स्नेहन, एस ई जे एवं अन्य स्लीपरों की बंधन की जांच एवं यदि आवश्यक हो तो उनके कसने का कार्य (एल डब्ल्यू आर नियमावली का पैरा 6.2.6)।
 - (ii) एल डब्ल्यू आर नियमावली के पैरा 6.2.6(i) के अनुसार गुम हो गए बंधनों की जगह दूसरे बंधन लगाना जिसके लिए रेलपथ को उठाने या खिसकाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
 - (iii) यह सुनिश्चित करना कि जहां क्रीप एंकर सकन (स्थिरक) लगाए गए हैं वे सभी समान तरीके से स्लीपर के साथ सटे हों और यदि एंकर (स्थिरक) में बड़े पैमाने पर विस्थापन हो तो वह इस बात को मेट/रेलपथ मिस्त्री/रेलपथ निरीक्षक (उपखण्ड) (रेलपथ निरीक्षक (प्रभारी) को रिपोर्ट करेगा।
 - (iv) सन किंकस, ढीले या गुम हो गए बंधन पर नजर रखना जिसके कारण एल डब्ल्यू आर/ सी डब्ल्यू आर एवं एस ई जे में बकलिंग या अन्य किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। रेलपथ में किसी प्रकार के बकलिंग या क्षति को देखने के पश्चात वह रेलपथ की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा और उसके बारे में शीघ्र रेलपथ निरीक्षक (उपखण्ड)/प्रभारी

रेलपथ निरीक्षक, स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेगा। लेकिन वह चाभी वाले(कीमैन) का दैनिक निरीक्षण कार्य करता। रहेगा।

(v) शीत प्रातःकाल में, विशेषकर सर्दी के मौसम में, टूटफूट का पता लगाना जो रेल/वेलिंडिंग फ्रेक्चर की स्थिति में हो सकती है, वह इसको ठीक करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगा और यातायात की बहाली के लिए तुरन्त मरम्मत का कार्य करेगा और इसकी सूचना वह रेलपथ निरीक्षक (उपखण्ड)/रेलपथ निरीक्षक (प्रभारी)/ नजदीकी स्टेशन मास्टर को देगा। (एल डब्ल्यू आर का पैरा 7.2.2 और 7.2.3)

- (10) अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अनाधिकृत निर्माण यदि कभी हो तो चाभी वाला इसकी सूचना तुरन्त मेट/रेलपथ निरीक्षक को करेगा।
- (11) अपने कार्य क्षेत्र का निरीक्षण पूरा करने के बाद, चाभी वाला दैनिक कार्य में मेट की सहायता करेगा।
- (12) जब सामग्री जैसे डायनेमो बेल्ट, इंजन सैसण और यात्रियों का व्यक्तिगत सामान लाइन पर पाया जाता है तो चाभी वाला उसको एकत्र कर नजदीकी स्टेशन मास्टर को सौंपने की व्यवस्था करेगा।
- (13) चाभी वाला, मेट की अनुपस्थिति में, सप्ताह में एक बार गैंग का कार्य प्रभारी होगा। उस दिन मेट के लिए आवश्यक है कि वह चाभी वाले(कीमैन) का कार्य एवं उसकी ड्यूटी करेगा।
- (14) कभी भी, निर्देश मिलने पर वह रेल डाली की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करेगा फिर भी इसके लिए उसके पास सक्षमता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

2.5.3 चाभी वाले(कीमैन) की पुस्तिका –

- (i) प्रत्येक चाभी वाले(कीमैन) को एक छपी हुई चाभी वाले(कीमैन) की पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- (ii) चाभी वाला पुस्तिका का अद्यतन संधारण करेगा और उसमें वह किए गए सभी विशेष कार्य, गुम हुई फिटिंग्स और उसकी क्षतिपूर्ति, स्थान व दिनांक के साथ बुक में लिखेगा।
- (iii) रेलपथ निरीक्षक तिथि अनुसार, कार्य अनुसूची तैयार करेगा एवं उसको चाभी वाले(कीमैन) की बुक में किमी/टी पी जिसे चाभी वाला महीने में प्रत्येक दिन देखेगा संलग्न किया जायेगा। चाभी वाला दिए गए नियत कार्य को पैरा 170 के उप पैरा 6,7,9(i) के अनुसार करेगा। रेलपथ निरीक्षक और सहायक अभियंता, निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेंगे कि दिए गए किमी वास्तव में देखें गए या नहीं और की गई प्रविष्टियों के सामने आद्याक्षरित करेंगे।
- (iv) चाभी वाले(कीमैन) द्वारा देखे जाने वाले विशेष स्थान की प्रविष्टि, पुस्तिका में किया जाना चाहिए।
- (v) विशेष बंधन जैसे जॉगल्ड फिश प्लेटें और खण्ड में लगी अन्य सामग्री जो कि संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यातायात की पुनर्बहाली का भी उल्लेख पुस्तिका में करना चाहिए।

2.6 MCNTM रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक रखरखाव गतिविधियों का वर्गीकरण:

MANPOWER AND COST NORMS FOR TRACK MAINTENANCE (MCNTM):

विशेष समिति फॉर्मूला में विभिन्न क्षेत्रों या परिदृश्य में विभिन्न मानवशक्ति उपलब्धता (कौशल, आयु) वितरण अपर्याप्त महसूस किया गया था, कुछ ट्रैक रखरखाव गतिविधियों के लिए आकस्मिक श्रम और निजी ठेकेदारों के बढ़ते उपयोग, आदि को देखते हुये ये सूत्र विकसित किए गए थे। 1996 में इस मामले को देखने और विशेष समिति के फॉर्मूले में बदलाव की सिफारिश करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा एक और समिति का गठन किया गया।

रखरखाव के काम की प्रकृति, उस पर किए गए ट्रैक और ट्रैफिक के प्रकार, स्थायी तरीके से संचालन के लिए आकस्मिक और अनुबंधित श्रम का वितरण, आदि के संदर्भ में कारकों की एक विस्तृत विविधता को नए तर्कसंगत सूत्र MCNTM में शामिल किया गया है।। तर्कसंगत फार्मूले वास्तव में कई अलग-अलग सूत्र हैं, प्रत्येक प्रकार के रखरखाव के संचालन के लिए, और वे मानव शक्ति के निर्धारण और इसी तरह के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों की समानता भी निर्दिष्ट करते हैं। MCNTM समिति की सिफारिशों के आधार पर 2006 में अपनाया गया था और 2014 में इसकी नवीनतम विधि रेलवे बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी है।

2.7 MCNTM की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक रखरखाव की गतिविधियों को प्राथमिक रखरखाव और सहायक रखरखाव के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

2.7.1 प्राथमिक रखरखाव गतिविधियाँ :

ये गतिविधियाँ सीधे रेलपथ रखरखाव से संबंधित हैं, जिन्हें ट्रैक की निरंतर लंबाई के आधार पर मानवशक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

(क) क्रियाएँ T (यातायात घनत्व से प्रभावित):

ये सुरक्षा और स्वीकार्य गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं, जो भार और गति के साथ किए जाते हैं।

(ख) क्रियाएँ R (नियमित: यातायात घनत्व से अप्रभावित):

ये ट्रैक, गठन और अन्य एकीकृत परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए हैं, जो नियमित प्रकृति के हैं, लेकिन ट्रेन संचालन के लिए और विश्वसनीयता प्राप्त करने और संपत्ति के लंबे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

2.7.2 सहायक रखरखाव गतिविधियाँ :

ये पूरी तरह से रेलपथ अनुभाग के रखरखाव से संबंधित हैं, स्थानीय समस्याओं, विशेष सुविधाओं और रेलपथ अनुभाग की भौगोलिक प्रकृति के आधार पर मानवशक्ति की जरूरत है, जिसे आगे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

(ग) गतिविधियाँ M (विविध):

इन गतिविधियों के लिए, रेलपथ अनुभाग में उत्पन्न होने वाले कार्य का आंकलन उस अनुभाग में पूर्व प्रचलित कार्यों के आधार पर किया जा सकता है और प्रत्येक उप-गतिविधि के लिए तर्कसंगत रूप से

संबंधित पूर्व कार्य का औसत आंकलन कर आवश्यक मानवशक्ति का निर्धारित किया जाता है।

(घ) गतिविधियाँ S (साइट-विशिष्ट):

इन गतिविधियों के लिए, उत्पन्न होने वाली कार्य की मात्रा, स्थान से स्थान तक अलग-अलग होती है, जो रेलपथ अनुभाग की साइट-विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर होती है और पिछले अनुभव के आधार पर यार्डस्टिक को आमतौर पर निर्धारित किया जाता है।

2.8

T, R, M, & S श्रेणियों के तहत MCNTM रिपोर्ट में उल्लिखित गतिविधियों और उप-गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

MCNTM रिपोर्ट के अनुसार टी, आर, एम और एस के तहत गतिविधियों और उप-गतिविधियों की सूची			
प्राथमिक रखरखाव गतिविधियाँ		सहायक रखरखाव गतिविधियाँ	
क्रियाएँ 'T' (यातायात घनत्व से प्रभावित):	क्रियाएँ 'R' (नियमित: यातायात घनत्व से अप्रभावित)	गतिविधियाँ 'M' (विविध)	क्रियाएँ 'S' (साइट विशिष्ट)
<p>मशीन पैक ट्रैक (गैर-उपनगरीय):</p> <p>T1 ध्यान दें</p> <p>(क) दलदली भूमि और वहाँ के ट्रैक पर ध्यान</p> <p>(ख) निचले जोड़ों, (एफपी या वेल्डेड), एक साथ चिपके हुए जोड़ों</p> <p>(ग) SEJ (1 किमी प्रति किमी।)</p> <p>(घ) लघु वक्र पुनर्निर्माण</p> <p>T2 टाई टैम्पर काम के लिए</p> <p>(क) प्री-टैपिंग ऑपरेशन</p> <p>(ख) टैपिंग के साथ</p> <p>(ग) पोस्ट-टैपिंग ऑपरेशन</p> <p>T3 आकस्मिक नवीनीकरण</p> <p>(क) रेल</p> <p>(ख) स्लीपर</p> <p>(ग) फास्टरों (पुन: गेजिंग के साथ)</p> <p>T4 मरम्मत वेल्डिंग</p>	<p>मशीन पैक ट्रैक (गैर उपनगरीय):</p> <p>R1 ईआरसी का खेहन</p> <p>R2 उथला स्क्रीनिंग (1/5 लंबाई)</p> <p>R3 लोडिंग, लीडिंग और अनलोडिंग</p> <p>R4 लेवल क्रॉसिंग का ओवरहालिंग</p> <p>R5 सतर्कता के साथ धब्बे और विविध देखना</p> <p>R6 दृश्यता के लिए पेड़ काटना</p> <p>R7 वक्रता में रेल का खेहन</p> <p>R8 रन-ओवर मामलों में दुर्घटना राहत और शव यात्रा</p> <p>R9 ब्रिज स्लीपर पर ध्यान और नवीनीकरण</p> <p>R10 मानसून पूर्व ध्यान, जैसे कि नालियों और जलमार्गों को साफ करना, सैस की मरम्मत, ट्रैक के निकट वनस्पतियों की निराई और कटिंग और ट्रॉली रिफ्यूज पर ध्यान देना।</p> <p>R11 क्रीप खींचना ((पुल के निकट / टर्न-आउट)</p> <p>R12 L / C पोस्ट एवं फाटकों के नुकसान सुधारना</p> <p>मैन्युअल रूप से पैक किया गया ट्रैक (गैर-उपनगरीय):</p> <p>R1 रेल जोड़ों का खेहन</p> <p>R2 उथला स्क्रीनिंग (1/5 लंबाई)</p> <p>R3 लोडिंग, लीडिंग और अनलोडिंग</p> <p>R4 लेवल क्रॉसिंग का ओवरहालिंग</p> <p>R5 सावधानीपूर्वक धब्बे देखना और विविध देखना</p> <p>R6 दृश्यता के लिए पेड़ काटना</p> <p>R7 वक्रता में रेल का खेहन</p> <p>R8 रन-ओवर मामलों में दुर्घटना राहत और शव यात्रा</p> <p>R9 ब्रिज स्लीपर पर ध्यान और नवीकरण</p> <p>R10 मानसून पूर्व ध्यान जैसे कि नालियों और जलमार्गों की सफाई, सैस मरम्मत, ट्रैक के निकट वनस्पतियों की निराई और कटिंग और ट्रॉली रिफ्यूज पर ध्यान देना</p> <p>R13 L / C पोस्ट एवं फाटकों के नुकसान सुधारना</p> <p>मशीन पैक ट्रैक (उच्च घनत्व उपनगरीय):</p> <p>R1 पैकिंग के माध्यम से</p> <p>R2 उथला स्क्रीनिंग (1/5 लंबाई)</p> <p>R3 लोडिंग, लीडिंग और अनलोडिंग</p> <p>R4 ईआरसी (जेट्स) का खेहन</p>	<p>उप-गतिविधियाँ:</p> <p>M1 मानसून गश्त</p> <p>M2 एल डबल्यू आर ट्रैक के लिए गश्त (गर्म मौसम में)</p> <p>M3 एल डबल्यू आर ट्रैक के लिए गश्त (ठंडे मौसम में)</p> <p>M4 कमजोर स्थानों को देखना</p> <p>M5 इंजीनियरिंग गेट क्रॉसिंग पर ध्यान रखना</p> <p>M6 कीमैन के लिए आराम देना</p> <p>M7 वाटरमैन ड्यूटी (गैंग की सेवा करने के लिए)</p> <p>M8 चौकीदार की ड्यूटी (रेलपथ सामग्री अलग-अलग स्थानों पर)</p>	<p>उप-गतिविधियाँ:</p> <p>S1 सुरंग का रखरखाव</p> <p>S2 पुल का उपकेंद्र रखरखाव</p> <p>S3 लंबे गर्डर पुल का रखरखाव</p> <p>S4 बहुत तेज घटना, गहरी कटिंग और खड़ी ढाल के कारण अतिरिक्त कार्यभार।</p> <p>S5 बेहद खराब निर्माण पर ट्रैक का रखरखाव।</p> <p>S6 लुक-आउट मैन ड्यूटी (गैंग की सुरक्षा के लिए)</p> <p>S7 फॉग सिग्नल मैन ड्यूटी (यातायात विभाग की सहायता के लिए)</p> <p>S8 ट्रैक से हटाने (शहर की सीमा के भीतर)</p> <p>S9 सुरक्षा गश्त</p> <p>S10 मानसून के दौरान उपनगरीय खंड (ज्यादातर मुंबई क्षेत्र में) में जल स्तर को</p>
<p>मैन्युअल रूप से पैक किया गया ट्रैक (गैर-उपनगरीय):</p> <p>T1 पैकिंग के माध्यम से</p> <p>T2 ध्यान दें</p> <p>(क) दलदली भूमि और वहाँ के ट्रैक पर ध्यान</p> <p>(ख) निचले जोड़ों, (एफपी या वेल्डेड), एक साथ चिपके हुए जोड़ों</p> <p>(ग) लघु वक्र पुनर्निर्माण</p> <p>T3 आकस्मिक नवीनीकरण</p> <p>(क) रेल</p> <p>(ख) स्लीपर</p> <p>(ग) फास्टरों (ध्यान रखें)</p> <p>T4 धीरे धीरे खींचने की क्रिया एवं अवलोकन</p>	<p>मशीन पैक ट्रैक (उच्च घनत्व उपनगरीय):</p> <p>R1 पैकिंग के माध्यम से</p> <p>R2 उथला स्क्रीनिंग (1/5 लंबाई)</p> <p>R3 लोडिंग, लीडिंग और अनलोडिंग</p> <p>R4 ईआरसी (जेट्स) का खेहन</p>		

(क) दलदली भूमि और वहाँ के ट्रैक पर ध्यान (ख) निचले जोड़ों (ग) SEJ (घ) लघु वक्र पुनर्निर्माण T2 टाई टैम्पर काम के लिए (क) प्री-टैपिंग ऑपरेशन (ख) टैपिंग के साथ (ग) पोस्ट-टैपिंग ऑपरेशन T3 आकस्मिक नवीनीकरण (घ) रेल (ङ) स्लीपर (च) फास्टरों (पुनः गेजिंग के साथ) T4 मरम्मत वेल्डिंग	R5 लेवल क्रॉसिंग का ओवरहालिंग R6 चौकस धब्बे देखना और मानव गतिविधि अवलोकन R7 पेड़ काटना R8 वक्रता में रेल का खेहन R9 ब्रिज स्लीपर पर ध्यान और नवीकरण R10 दुर्घटना राहत और शव निकालने R11 मानसून पूर्व ध्यान R12 क्रीप खींचना (पुल के निकट / टर्न-आउट) R13 LC नुकसान को सुधारना R14 वेल्ड कॉलर की पेंटिंग R15 आपातकालीन ध्यान R16 कीमैन और बी / स्मिथ को अतिरिक्त सहायता R17 रात के ब्लॉक में अतिरिक्त काम R18 एसएंडटी वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सहायता		देखना और आवश्यक होते ही ट्रेनों को रोकना।
--	--	--	---

2.9 MCNTM की रिपोर्ट के अनुसार, अनुबंध एवं विभागीय माध्यम से निष्पादन के लिए ट्रैक रखरखाव कार्य :

तालिका-ए: अनुबंध प्रणाली के माध्यम से निष्पादित की जा सकने वाली गतिविधियों की सूची

सं.	क्रियाएँ
1	रेल ट्रैक के आधार का गठन एवं उपचार कार्य।
2	गिट्टी का संग्रह, सामग्री ट्रेन द्वारा गिट्टी का गमनागमन, ट्रैक में यथोचित गिट्टी का ढेर, ट्रैक में गिट्टी का सम्मिलन और प्रोफाइलिंग।
3	ट्रैक में गिट्टी की गहरी जांच, मैनुअल रूप से बाहर ले जाने या बीसीएम को तैनात करने से जिसमें ठेकेदार द्वारा मानवशक्ति प्रदान किया जाता है।
4	उप गिट्टी और गिट्टी की परत का परिचय।
5	ट्रैक की भारी मरम्मत(इसमें ट्रैक उठाना भी शामिल हैं)।
6	घुमावदार ट्रैक का पूरा पुनर्निर्माण करना।
7	रेल, स्लीपर और फास्टरों के नवीकरण के माध्यम से।
8	पॉइंट और क्रॉसिंग, एसईजे, ट्रेप आदि का पूर्ण नवीनीकरण।
9	मशीनों और स्विच रेल का पुनरुत्थान।
10	थोक में रेलपथ सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग।
11	आकस्मिक नवीकरण के अलावा अन्य तरीकों के लिए रेलपथ की सामग्री को भेजना ।
12	बंद डिपो में सामग्रियों की सुरक्षा।
13	रेल और वेल्ड कॉलर की पेंटिंग।
14	पुल गर्डरों की पेंटिंग।

15	भारी मरम्मत (मापने योग्य) साइड नालियों और पानी की नालियों के गठन, काटने के लिये।
16	पुलों, पुल संरक्षण कार्यों, नदी संबंधी कार्यों और सुरंगों की भारी मरम्मत (मापने योग्य)।
17	लेवल क्रॉसिंग पर सड़क की लेवेलिंग करना / मरम्मत करना, जिसमें स्पीड ब्रेकर भी शामिल हैं।
18	बालू के बड़े हिस्सों को हटाना।
19	पुनर्स्थापना, उल्लंघन या दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाले कार्यों।
20	इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एस एंड टी विभागों की मरम्मत डिपो और कार्यशालाओं सहित कोचिंग और माल यार्ड में पटरियों के आसपास के क्षेत्र में रैंक वनस्पति की सफाई।

2.9.1 तालिका-बी: मशीन पैक ट्रेक के लिए गतिविधियों की सूची विभागीय रूप से बनाए रखी जाए

'टी' (यातायात घनत्व से प्रभावित) के तहत गतिविधियाँ:

टी 1	दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान, निचले जोड़ों, (एफपी या वेल्डेड), एक साथ चिपके हुए जोड़ों, SEJ और लघु वक्र पुनर्निर्माण को ध्यान देना।
टी 2	टाई टैम्पर का काम (प्री-टैपिंग ऑपरेशन, टैपिंग के साथ और पोस्ट-टैपिंग ऑपरेशन)।
टी 3	आकस्मिक नवीकरण; ए) रेल्स बी) स्लीपर्स सी) फास्टरों के साथ-साथ फिर से गेजिंग।
टी 4	वेल्डिंग मरम्मत।

'आर' (यातायात घनत्व से अप्रभावित) के तहत गतिविधियाँ:

आर 1	ईआरसी का स्नेहन।
आर 2	उथला स्क्रीनिंग (1/5 लंबाई)
आर 3	लोडिंग, लीडिंग और अनलोडिंग।
आर 4	लेवल क्रॉसिंग का ओवरहालिंग।
आर 5	सतर्कता के साथ धब्बे और विविध देखना।
आर 6	दृश्यता के लिए पेड़ काटना।
आर 7	वक्रता में रेल का स्नेहन।
आर 8	रन-ओवर मामलों में दुर्घटना राहत और शव यात्रा।
आर 9	ब्रिज स्लीपर पर ध्यान और नवीनीकरण।
आर10	मानसून पूर्व ध्यान, जैसे कि नालियों और पानी के मार्गों को साफ करना, सैस की मरम्मत, ट्रेक के निकट वनस्पतियों की निराई और कटिंग और ट्रॉली रिफ्यूज पर ध्यान देना।
आर11	क्रीप खींचना (पुल के निकट / टर्न-आउट)

आर12	L / C पोस्ट एवं फाटकों के नुकसान सुधारना
'एम' के तहत गतिविधियाँ:	
एम 1	मानसून गश्त
एम 2	एल डबल्यू आर ट्रैक के लिए गश्त (गर्म मौसम में)
एम 3	एल डबल्यू आर ट्रैक के लिए गश्त (ठंडे मौसम में)
एम 4	कमजोर स्थानों को देखना
एम 5	इंजीनियरिंग गेट क्रॉसिंग पर ध्यान रखना
एम 6	कीमैन के लिए आराम देना
एम 7	वाटरमैन ड्यूटी (गैंग की सेवा करने के लिए)
एम 8	चौकीदार की ड्यूटी (रेलपथ सामग्री अलग-अलग स्थानों पर)
'एस' (साइट विशिष्ट) के तहत गतिविधियाँ:	
एस 1	सुरंग का रख-रखाव (इस काम के लिए वर्क्स/ब्रिज कर्मचारियों की उपलब्धता न होने पर)
एस 2	ब्रिज की उप-संरचना रखरखाव (इस काम के लिए वर्क्स/ब्रिज कर्मचारियों की उपलब्धता न होने पर)
एस 3	लंबे गर्डर पुल का रखरखाव (150 मीटर से अधिक लंबी जलमार्ग वाले पुलों में)
एस 4	बहुत घुमावदार वक्र, गहरी कटिंग और खड़ी ढाल के कारण अतिरिक्त कार्यभार।
एस 5	बेहद खराब निर्माण पर ट्रैक का रखरखाव। (उन स्थानों पर जहां ट्रैक को एक वर्ष में 12 से अधिक बार रखरखाव की आवश्यकता होती है।)
एस 6	लुक-आउट मैन ड्यूटी (गैंग की सुरक्षा के लिए)
एस 7	ट्रैफिक विभाग की सहायता के लिए फॉग सिग्नल मैन ड्यूटी (इसके लिए पिछले 3 वर्षों में उपयोग किए गए मैन-डेज़)
एस 8	ट्रैक से गंदगी हटाने (शहर की सीमा के भीतर)
एस 9	सुरक्षा गश्त (इस ड्यूटी के लिए पिछले 3 वर्षों में उपयोग की जाने वाली मेनडेज़)
एस10	उपनगरीय खंड में पानी का स्तर देखना (ज्यादातर मुंबई क्षेत्र में)

2.10 विभागीय और अनुबंध के द्वारा निष्पादित वर्तमान ट्रैक अनुरक्षण कार्य का औसत % -ब्रेक-अप (प्रतिशत ब्रेक-यूपी)

सं.	क्रियाएँ	द्वारा किया जा रहा है (% में)	
		विभागीय	संविदा
1	खराब स्पॉट पर ध्यान	100	00

2	निचले जोड़ों पर ध्यान	100	00
3	सेज पर ध्यान	100	00
4	लघु वक्र पुनर्निर्माण पर ध्यान	80	20
5	प्री टैपिंग ऑपरेशन	20	80
6	टैपिंग के साथ	80	20
7	पोस्ट-टैपिंग ऑपरेशन	15	85
8	रेल का आकस्मिक नवीनीकरण	75	25
9	स्लीपर्स का आकस्मिक नवीनीकरण	20	80
10	फास्टनरों का नवीकरण (री गेजिंग के साथ में)	30	70
11	मरम्मत वेल्डिंग	40	60
12	ईआरसी का स्नेहन	20	80
13	उथला स्क्रीनिंग	10	90
14	लोडिंग, लीडिंग और अनलोडिंग।	00	100
15	लेवल क्रॉसिंग का ओवरहालिंग।	10	90
16	सतर्कता के साथ धब्बे और विविध देखना	90	10
17	दृश्यता के लिए पेड़ काटना	70	30
18	वक्रता में रेल का स्नेहन	100	00
19	रन-ओवर मामलों में दुर्घटना राहत और शव यात्रा	100	00
20	ब्रिज स्लीपर पर ध्यान और नवीनीकरण	00	100
21	मानसून पूर्व ध्यान, जैसे कि नालियों और जलमार्गों को साफ करना, सैस की मरम्मत, ट्रैक के निकट वनस्पतियों की निराई और कटिंग और ट्रॉली रिफ्यूज पर ध्यान देना।	20	80
22	क्रीप खींचना ((पुल के निकट / टर्न-आउट)	10	90
23	L / C पोस्ट एवं फाटकों के नुकसान सुधारना	100	00
24	मानसून गश्त	100	00
25	गश्त (गर्म मौसम में)	100	00
26	गश्त (ठंडे मौसम में)	50	50
27	कमजोर स्थानों को देखना	100	00
28	वाटरमैन ड्यूटी	100	00
29	साइट स्टोर चौकीदार	100	00

30	लेवल क्रॉसिंग पर गेट कीपिंग	100	00
31	सुरंग का रखरखाव	80	20
32	पुल संरचना रखरखाव	100	00
33	लंबे गर्डर रखरखाव	100	00
34	बहुत तेज वक्र के लिए अतिरिक्त	30	70
35	बहुत खराब गठन के लिए अतिरिक्त	50	50
36	आउटमैन ड्यूटी	100	00
37	फॉग सिग्नलमैन की ड्यूटी	100	00
38	गंदगी हटाना	-	-
39	सुरक्षा गश्त	100	00
40	पेंटिंग और लेखन कार्य	90	10

2.11 सैम्पल गैंग का अनुभागीय डेटा:

ADEN / PND के अधीन वरि. अनुभाग अभियंता/ पेंड्रारोड के DTM / 19K के सैम्पल गैंग के डेटा को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

मद	DTM / 19K वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ)/ पेंड्रारोड
अधिकार - क्षेत्र	805/37-810/10
गैंग की लंबाई	06 Km
टीकेएम (एम / एल)	(6 + 6) Km
आर वाई एल	-
GMT	47.63/Up, 29.71/Dn
कम दिखने योग्य	3.00 Km
एल डब्लू आर की लंबाई	5.7 Km
वक्रों की संख्या	13
वक्र की डिग्री	2-5.5°
वक्र की लंबाई	4600 mtr.
गर्डर पुल	01
जी / ब्रिज की लंबाई	5439 m
स्टेशन यार्ड	KOI

एल / सी गेट	BK-33
परेशान करने वाला तापमान	42°C
रेल तापमान	(7° - 43°)
स्थिर गश्त	01 Br. No.-66

2.11.1 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधीन लेवल क्रॉसिंग गेट:

वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधिकार क्षेत्र में 06 इंजीनियरिंग गेट हैं। 04 ट्रेक मेन्टेनर्स का उपयोग 08 घण्टे की शिफ्ट (01 ट्रेक मेन्टेनर्स प्रति शिफ्ट + 01 आरजी / एलआर) के हिसाब से प्रति एलसी गेट में किया जाता है।

यूनिट	सं	सेक्शन	एल सी गेट	स्थान	ब्यूटी रोस्टर
वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड	1	SBRA-PND	BK-36	816/14-15	8 Hrs.
	2	PND-HRB	BK-38	820/05-06	8 Hrs.
	3	HRB-VKR	BK-44	832/08-09	8 Hrs.
	4	NIQ-JTI	BK-54	852/11-12	8 Hrs.
	5	JTI-CLF	BK-56	860/04-05	8 Hrs.
	6	CLF-APR	BK-60	866/08-09	8 Hrs.

11.2 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधीन पुश ट्रॉली की स्थिति:

सं.	पद	मोटर या पुश ट्रॉली	मुख्यालय	मौजूदा क्रमांक	नई आवंटित क्रमांक
1	कनि. अभियंता (रेलपथ) खोडरी	PT	KOI	111	BSP 43
2	वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड	PT	PND	39	BSP 44
3	कनि. अभियंता (रेलपथ) जैथरी	PT	JTI	41	BSP 45

04 ट्रेक मेन्टेनर्स का उपयोग सामान्य अनुभाग (सं.-3) में किया जाता है और 06 ट्रेक मेन्टेनर्स का उपयोग पुश ट्रॉली गतिविधि के लिए घाट सेक्शन (सं.-1 और 2) में किया जाता है।

2.12 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधीन स्टोर:

वरि. अनुभाग अभियंता (रेलपथ) / पेंडारोड के अधीन एक स्टोर हैं जिसमें 1506 स्टोर आइटम (स्टॉक और नॉन-स्टॉक दोनों) मौजूद हैं। 2018-19 में, ट्रेक, डीएसडी / बिलासपुर और अन्य रेलपथ इकाइयों से प्राप्त सामग्री 419 बार ली गयी है, और कार्य स्थल के लिए जारी की गई सामग्री एक वर्ष में 1907 बार है।

स्टोर अनुभाग में तैनात कर्मचारियों को स्टोर आइटम के लोडिंग / अनलोडिंग, उचित क्रम में

व्यवस्था करने, संबंधित रजिस्ट्रों को बनाए रखने, साइट पर सामग्री के परिवहन आदि कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा, साइट पर चल रहे सामानों की देखभाल के लिए प्रति दिन 3-4 कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

2.12 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड के अधिकार क्षेत्र में ट्रेक मशीन का प्रदर्शन:

वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड के अधिकार क्षेत्र में अनुभागीय टैपिंग विवरण							
लाइन	अवस्थिति से		अवस्थिति तक		लम्बाई (मीटर में)	पुर्व टैपिंग	मशीन का प्रकार
	किमी	मी	किमी	मी			
लाइन : अप	अवस्थिति : 796 किमी	910 मी से	808 किमी	0 मी	ट्रेक लम्बाई : 11.543 किमी		
लाइन : अप	अवस्थिति : 819 किमी	686 मी से	868 किमी	546 मी	ट्रेक लम्बाई : 48.969 किमी		
लाइन : डाउन	अवस्थिति : 796 किमी	910 मी से	808 किमी	0 मी	ट्रेक लम्बाई : 11.11 किमी		
लाइन : डाउन	अवस्थिति : 819 किमी	686 मी से	868 किमी	546 मी	ट्रेक लम्बाई : 48.774 किमी		
लाइन : सींगल लाइन	अवस्थिति : 808 किमी	0 मी से	819 किमी	686 मी	ट्रेक लम्बाई : 11.67 किमी		
डाउन	796	910	797	950	1044	09/2013	डब्लु एस टी
डाउन	797	960	797	1210	250	09/2013	सी एस एम
डाउन	797	1210	799	960	1771	02/2017	सी एस एम
डाउन	800	260	800	310	50	09/2013	सी एस एम
डाउन	800	310	800	820	510	02/2017	सी एस एम
डाउन	800	820	801	985	1272	01/2017	सी एस एम
डाउन	801	985	803	984	1984	02/2017	सी एस एम
डाउन	803	984	804	350	362	11/2016	सी एस एम
डाउन	804	350	804	700	350	05/2017	सी एस एम
डाउन	804	700	805	290	580	04/2017	सी एस एम
डाउन	805	290	806	472	1163	11/2016	सी एस एम
डाउन	806	472	806	650	178	08/2013	सी एस एम
डाउन	806	650	806	750	100	10/2013	युनिमेट 4 एस
डाउन	806	750	806	790	40	12/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	806	790	806	850	60	02/2017	युनिमेट 4 एस
डाउन	806	850	806	990	140	12/2016	सी एस एम
डाउन	806	990	808	0	1012	04/2019	सी एस एम

डाउन	820	10	820	590	580	01/2017	सी एस एम
डाउन	821	10	821	100	90	12/2016	एम पी टी
डाउन	821	100	822	402	1302	09/2018	एम पी टी
डाउन	822	402	822	430	28	12/2016	एम पी टी
डाउन	822	430	823	23	593	09/2018	एम पी टी
डाउन	823	23	823	120	97	12/2016	सी एस एम
डाउन	825	860	826	180	320	08/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	826	180	826	780	600	12/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	826	780	826	1080	300	01/2017	युनिमेट 4 एस
डाउन	826	1080	826	1360	280	12/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	827	652	827	882	230	01/2017	युनिमेट 4 एस
डाउन	827	882	827	940	58	12/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	827	950	828	150	200	01/2016	एम पी टी
डाउन	828	150	828	550	400	11/2016	एम पी टी
डाउन	828	550	828	811	261	01/2016	एम पी टी
डाउन	828	811	829	230	445	11/2016	एम पी टी
डाउन	829	230	829	350	120	01/2016	एम पी टी
डाउन	829	750	829	950	200	12/2016	युनिमेट
डाउन	829	950	830	490	517	11/2017	युनिमेट
डाउन	830	490	830	790	300	11/2016	युनिमेट
डाउन	830	817	833	0	2176	10/2017	सी एस एम
डाउन	833	0	833	10	10	02/2016	सी एस एम
डाउन	833	10	835	960	3016	10/2017	सी एस एम
डाउन	835	960	836	492	527	01/2017	सी एस एम
डाउन	836	492	836	900	408	12/2016	सी एस एम
डाउन	837	655	838	450	776	01/2017	सी एस एम
डाउन	838	450	838	908	458	11/2016	सी एस एम
डाउन	838	908	838	970	62	11/2016	इब्लु एस टी
डाउन	838	970	838	997	27	12/2016	सी एस एम

डाउन	838	997	841	893	2899	10/2017	सी एस एम
डाउन	841	893	841	994	101	01/2017	सी एस एम
डाउन	841	994	842	254	246	12/2016	सी एस एम
डाउन	842	254	843	551	1319	10/2017	सी एस एम
डाउन	843	551	843	665	114	01/2017	सी एस एम
डाउन	843	665	843	720	55	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	843	720	844	900	1199	12/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	844	900	844	930	30	01/2016	इब्लु एस टी
डाउन	844	930	845	882	1001	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	845	930	846	420	480	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	846	420	846	720	300	01/2017	इब्लु एस टी
डाउन	847	256	848	589	1359	12/2016	सी एस एम
डाउन	848	589	849	0	406	10/2017	सी एस एम
डाउन	849	0	851	293	2319	04/2019	सी एस एम
डाउन	851	293	851	480	187	12/2016	सी एस एम
डाउन	851	480	852	487	993	01/2017	इब्लु एस टी
डाउन	853	240	854	242	992	01/2017	इब्लु एस टी
डाउन	854	597	854	852	255	08/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	854	965	855	661	655	02/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	855	661	855	1100	439	07/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	856	50	856	469	419	12/2015	इब्लु एस टी
डाउन	856	469	857	975	1492	12/2018	इब्लु एस टी
डाउन	857	975	861	627	3600	01/2019	इब्लु एस टी
डाउन	861	627	863	30	1379	12/2018	इब्लु एस टी
डाउन	863	30	863	370	340	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	863	370	863	400	30	12/2015	एम पी टी
डाउन	863	600	864	44	434	04/2019	सी एस एम
डाउन	864	44	864	100	56	12/2016	सी एस एम
डाउन	864	100	864	541	441	12/2016	एम पी टी

डाउन	864	655	864	761	106	12/2016	युनिमेट 4 एस
डाउन	864	761	864	822	61	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	864	822	866	485	1684	01/2019	इब्लु एस टी
डाउन	866	485	866	486	1	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	866	486	868	300	1788	01/2019	इब्लु एस टी
डाउन	868	300	868	460	160	12/2016	इब्लु एस टी
डाउन	868	460	868	483	23	07/2016	एम पी टी
डाउन	868	483	868	546	63	12/2015	युनिमेट 4 एस
सींगल लाइन	808	180	808	500	320	11/2012	सी एस एम
सींगल लाइन	808	500	809	350	837	12/2015	एम पी टी
सींगल लाइन	809	350	809	630	280	02/2018	एम पी टी
सींगल लाइन	809	630	810	30	451	12/2015	इब्लु एस टी
सींगल लाइन	810	30	811	210	1184	12/2016	इब्लु एस टी
सींगल लाइन	811	210	812	150	953	12/2015	सी एस एम
सींगल लाइन	812	150	812	177	27	01/2017	इब्लु एस टी
सींगल लाइन	812	177	812	185	8	01/2018	एम पी टी
सींगल लाइन	812	185	812	450	265	02/2018	सी एस एम
सींगल लाइन	812	450	813	140	640	05/2018	सी एस एम
सींगल लाइन	813	140	813	320	180	02/2018	सी एस एम
सींगल लाइन	814	340	814	510	170	11/2017	युनिमेट
सींगल लाइन	814	510	814	600	90	10/2013	युनिमेट
सींगल लाइन	814	600	818	350	3712	12/2015	सी एस एम

सींगल लाइन	818	350	818	560	210	10/2012	युनिमेट
सींगल लाइन	818	560	818	760	200	11/2017	युनिमेट
सींगल लाइन	819	530	819	686	156	12/2015	सी एस एम
अप	796	910	796	911	1	05/2016	इब्लु एस टी
अप	796	911	797	1070	1230	08/2016	सी एस एम
अप	797	1070	798	200	723	05/2017	सी एस एम
अप	798	200	798	210	10	08/2016	सी एस एम
अप	798	210	798	490	280	04/2017	सी एस एम
अप	798	490	798	530	40	08/2016	सी एस एम
अप	798	530	799	130	550	04/2017	सी एस एम
अप	799	130	799	410	280	08/2013	सी एस एम
अप	800	70	800	630	560	08/2013	इब्लु एस टी
अप	800	630	800	930	300	02/2017	इब्लु एस टी
अप	800	930	801	16	63	08/2013	सी एस एम
अप	801	16	804	70	3068	04/2017	सी एस एम
अप	804	150	804	600	450	09/2013	इब्लु एस टी
अप	804	670	804	700	30	11/2012	इब्लु एस टी
अप	804	700	805	300	590	09/2013	इब्लु एस टी
अप	805	300	805	430	130	11/2012	सी एस एम
अप	805	450	805	950	500	11/2012	सी एस एम
अप	806	750	806	850	100	10/2013	युनिमेट
अप	807	325	807	630	305	02/2016	इब्लु एस टी
अप	819	686	820	170	484	08/2016	सी एस एम
अप	820	170	820	690	520	03/2019	सी एस एम
अप	820	690	820	744	54	11/2016	सी एस एम
अप	820	744	821	70	326	11/2016	एम पी टी
अप	821	70	823	60	1990	10/2016	एम पी टी
अप	823	60	823	355	295	11/2016	एम पी टी

अप	823	355	823	527	172	11/2016	सी एस एम
अप	823	527	826	779	3252	10/2017	सी एस एम
अप	827	975	827	1040	65	02/2016	युनिमेट
अप	828	500	828	788	288	01/2016	डब्लु एस टी
अप	828	788	828	802	14	01/2016	एम पी टी
अप	828	802	829	180	404	11/2016	एम पी टी
अप	829	180	829	250	70	08/2016	एम पी टी
अप	829	250	829	700	450	11/2016	एम पी टी
अप	829	700	829	730	30	11/2016	सी एस एम
अप	829	730	832	540	2810	10/2017	सी एस एम
अप	832	540	833	70	530	08/2016	सी एस एम
अप	833	70	833	403	333	08/2016	डब्लु एस टी
अप	833	403	833	580	177	08/2016	सी एस एम
अप	833	580	834	390	810	10/2017	सी एस एम
अप	834	390	834	450	60	11/2016	सी एस एम
अप	834	450	834	486	36	08/2016	एम पी टी
अप	834	728	834	834	106	11/2016	सी एस एम
अप	834	834	836	836	2002	10/2017	सी एस एम
अप	837	390	837	658	268	07/2016	युनिमेट 4 एस
अप	837	659	837	780	121	01/2016	डब्लु एस टी
अप	837	780	838	498	718	01/2016	युनिमेट 4 एस
अप	838	498	838	646	148	07/2016	एम पी टी
अप	838	646	839	428	782	11/2016	एम पी टी
अप	839	428	840	95	667	08/2016	एम पी टी
अप	840	95	841	935	1840	08/2016	डब्लु एस टी
अप	841	947	842	130	183	08/2016	सी एस एम
अप	842	130	843	592	1462	10/2017	सी एस एम
अप	843	592	844	16	424	08/2016	सी एस एम
अप	844	16	844	146	130	08/2016	डब्लु एस टी

अप	844	146	844	214	68	08/2016	एम पी टी
अप	844	214	845	260	1096	11/2016	एम पी टी
अप	845	260	845	930	670	01/2016	एम पी टी
अप	845	935	846	0	65	11/2016	सी एस एम
अप	846	0	852	775	6775	10/2017	सी एस एम
अप	852	775	854	45	1270	07/2016	सी एस एम
अप	854	45	854	596	551	10/2017	सी एस एम
अप	854	596	854	607	11	07/2016	सी एस एम
अप	854	607	854	807	200	07/2016	युनिमेट 4 एस
अप	854	950	855	460	508	02/2016	इब्लु एस टी
अप	855	850	856	58	217	07/2016	युनिमेट 4 एस
अप	856	110	856	286	176	10/2015	सी एस एम
अप	856	286	856	340	54	06/2016	इब्लु एस टी
अप	856	340	857	450	1077	12/2018	इब्लु एस टी
अप	857	450	860	150	2739	01/2019	इब्लु एस टी
अप	860	150	860	304	154	07/2016	इब्लु एस टी
अप	860	304	861	825	1521	01/2019	इब्लु एस टी
अप	861	825	861	850	25	07/2016	इब्लु एस टी
अप	861	850	862	220	374	07/2016	एम पी टी
अप	862	220	862	674	454	11/2016	एम पी टी
अप	862	674	863	48	393	12/2016	एम पी टी
अप	863	48	863	51	3	07/2016	एम पी टी
अप	863	51	863	405	354	12/2016	एम पी टी
अप	863	405	863	448	43	02/2016	एम पी टी
अप	863	496	864	310	816	02/2016	युनिमेट
अप	865	485	867	400	1906	07/2016	सी एस एम
अप	867	565	868	460	900	07/2016	सी एस एम
Total					116007		

- 2.13 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधिकार क्षेत्र में पिछले एक वर्ष (01.04.2018 – 31.03.2019) में सैम्पल डी टी एम / गैंग बीट 19K का मासिक कार्य प्रगति :
पिछले एक वर्ष (अप्रैल 18 से मार्च -19) की वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के तहत नमूना गैंग नंबर 19K की मासिक कार्य प्रगति निम्नानुसार है:

2.13.1 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (अप्रैल 2018):

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेन
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	172
टॉंग रेल, क्रॉसिंग, सेज और फिटिंग की ग्रीसिंग	9
जिंग पॉइंट / सेज नवीकरण	6
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	30
कुल	217

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेन
साइड ड्रेन की निकासी	12
रेलपथ सामग्री की लोडिंग, लीडिंग अनलोडिंग	19
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	7
कीमेन ड्यूटी पर	30
कुल	68

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेन
कार्य स्थल संरक्षण	27
कुल	27

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेन
कार्यालय के काम में सहायता करना	11
पेट्रोलिंग-गर्म मौसम	66
प्रशिक्षण (RC/IC)	7
कुल	84

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 217 + 68 + 27 + 84 = 396

2.13.2 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (मई 2018) : -

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमैन
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	51
वेल्डिंग टीम के साथ	53
कुल	104

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमैन
कैच वाटर ड्रेन की निकासी	23
साइड ड्रेन की निकासी	65
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	10
कीमेन ड्यूटी पर	27
जॉंगल्ड फिश प्लेट उपलब्ध कराना	3
कीमेन के साथ	1
कुल	129

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमैन
कार्य स्थल संरक्षण	28
कुल	28

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमैन
कार्यालय के काम में सहायता करना	19
मेट ड्यूटी पर	1 1
पेट्रोलिंग-कोल्ड वेदर	1
पेट्रोलिंग-हॉट वेदर	28
प्रशिक्षण (IC / RC)	8
चौकीदार	1
कुल	68

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 104 + 129 + 28 + 68 = 329

2.13.3 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (जून 2018) :-

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
एक साथ चिपके हुए जोड़ों का नवीनीकरण	10
फिटिंग और फस्टेनिंग्स के पुनर्निर्माण	14
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	16
वेल्डिंग टीम के साथ	19
कुल	59

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
केच वाटर ड्रेन की निकासी	18
साइड ड्रेन की निकासी	79
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	21
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	3
कीमेन ड्यूटी पर	29
रेल डॉली / दिपलॉरी कार्य	3
कुल	153

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
पुल का रखरखाव	5
कार्य स्थल संरक्षण	14
कुल	19

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	6
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	9
मेट ड्यूटी पर	17
ट्रॉली ड्यूटी पर	13
पेट्रोलिंग-हॉट वेदर	12
पेट्रोलिंग-मानसून	41
आवधिक चिकित्सा परीक्षण	3
अन्य विभागीय काम में	17
कुल	118

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 59 + 153 + 19 + 118 = 349

2.13.4 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (जुलाई 2018):-

आवागमन घनत्व (टी) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
गेजिंग कार्य	6
ट्रेक मशीन के साथ	1
बेल्टिंग टीम के साथ	3
कुल	10

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
साइड ड्रेन की निकासी	45
पटरी और उसके आसपास बानस्पतिक सफाई	14
आपातकालीन ध्यान	6
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	6
कीमेन ड्यूटी पर	20
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	5
कुल	96

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्य स्थल संरक्षण	18
कुल	18

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	4
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	23
मेट ड्यूटी पर	3
पेट्रोलिंग-मानसून	94
अन्य विभागीय काम में	2
कुल	126

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 10 + 96 + 18 + 126 = 250

2.13.5 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (अगस्त 2018):-

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
वक्रता की ग्रीसिंग	2
टॉंग रेल, क्रॉसिंग, सेज और फिटिंग की ग्रीसिंग	23
कुल	25

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	5
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	13
कीमेन ड्यूटी पर	31
विशेष आकस्मिक अवकाश	1
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	20
कुल	70

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्य स्थल संरक्षण	41
कुल	41

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	20
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	29
मेट ड्यूटी पर	10
पेट्रोलिंग-मानसून	187
अन्य विभागीय काम में	14
चौकीदार	4
कुल	264

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 25 + 70 + 41 + 264 = 400

2.13.6 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (सितंबर 2018):-

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	17
वक्रता की ग्रीसिंग	1
गेजिंग कार्य	20
टॉंग रेल, क्रॉसिंग, सेज और फिटिंग की ग्रीसिंग	21
फिटिंग और फस्टेनिंग्स के पुनर्निर्माण	10
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	34
पैकिंग / ध्यान के माध्यम से	21
ट्रेक मशीन के साथ	4
कुल	128

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
साइड ड्रेन की निकासी	2
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	30
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	7
कीमेन ड्यूटी पर	30
कीमेन के साथ	2
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	2
कुल	73

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्य स्थल संरक्षण	33
कुल	33

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	9
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	19
पेट्रोलिंग-मानसून	114
अन्य विभागीय काम में	5
स्टोर बॉचमैन की ड्यूटी	13
चौकीदार	10
कुल	170

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 128 + 73 + 33 + 170 = 404

2.13.7 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (अक्टूबर 2018):-

आवागमन घनत्व (टी) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमैन
कैजुअल रेल रिन्यूवल	6
कैजुअल स्लीपर्स रिन्यूवल	44
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	31
इन्सुलेटेड रेल जोड़ों पर ध्यान	18
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	31
रेल जोड़ों पर ध्यान	1 1
वेल्लिंग टीम के साथ	25
कुल	166

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमैन
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	38
आपातकालीन ध्यान	29
Eआरc Giving	12
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	7
कीमेन ड्यूटी पर	26
रेल डॉली / डिप लारी कार्य	5
सावधानी वाली जगह की निगरानी	6
कुल	123

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमैन
पुल का रखरखाव	6
कार्य स्थल संरक्षण	26
कुल	32

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमैन
कार्यालय के काम में सहायता करना	5
स्टोर बॉचमैन की ड्यूटी	22
चौकीदार	5
कुल	32

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 166 + 123 + 32 + 32 = 353

2.13.8 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (नवंबर 2018):-

आवागमन घनत्व (टी) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
कैजुअल रेल रिन्यूवल	7
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	23
गेजिंग कार्य	3
प्लेट इस्क्रू का सेहन	4
इन्सुलेटेड रेल जोड़ों पर ध्यान	8
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	26
ट्रेक समेकन	1
ट्रेक मशीन के साथ	1
वेल्डिंग टीम के साथ	41
कुल	114

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	9
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	2
कीमेन झूटी पर	28
अन्य विविध कार्य	4
जॉगलड फिश प्लेट उपलब्ध कराना	8
रेल डॉली / डिपलारी कार्य	6
कीमेन के साथ	3
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	4
कुल	64

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
पुल का रखरखाव	12
कार्य स्थल संरक्षण	31
कुल	43

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	8
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	60
पेट्रोलिंग-कोल्ड वेदर	49
अन्य विभागीय काम में	3
स्टोर वॉचमैन की झूटी	16
कोई ब्लॉक नहीं होने के कारण मानवशक्ति व्यर्थ	8
चौकीदार	4
कुल	148

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 114 + 64 + 43 + 148 = 369

2.13.9 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (दिसंबर 2018) :-

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेन
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	29
फिटिंग और फस्टेनिंग के पुनर्निर्माण	16
रेल जोड़ों का ध्यान	3
वेल्डिंग टीम के साथ	42
कुल	90

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेन
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	13
डीएमटी ट्रेन कार्य	2
रेलपथ सामग्री की लोडिंग, लीडिंग अनलोडिंग	2
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	28
कीमेन ड्यूटी पर	28
अन्य विविध कार्य	4
जॉगलड फिश प्लेट उपलब्ध कराना	7
कीमेन के साथ	1
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	33
कुल	118

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेन
पुल का रखरखाव	3
कार्य स्थल संरक्षण	29
कुल	32

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेन
कार्यालय के काम में सहायता करना	11
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	6
गैंग बीट / लेवल जिंग / फॉग पोस्ट / एफएम / कर्व / ओएचई मस्ट की पेंटिंग	26
पैट्रोलिंग-कोल्ड वेदर	68
अन्य विभागीय काम में	13
चौकीदार	7
कुल	131

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 90 + 118 + 32 + 131 = 371

2.13.10 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (जनवरी 2019) :-

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	29
फिटिंग और फस्टेनिंग्स के पुनर्निर्माण	16
रेल जोड़ों का ध्यान	3
वेल्डिंग टीम के साथ	42
कुल	90

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	13
डीएमटी ट्रेन कार्य	2
रेलपथ सामग्री की लोडिंग, लीडिंग अनलोडिंग	2
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	28
कीमेन ड्यूटी पर	28
अन्य विविध कार्य	4
जॉगलड फिश प्लेट उपलब्ध कराना	7
कीमेन के साथ	1
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	33
कुल	118

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
पुल का रखरखाव	3
कार्य स्थल संरक्षण	29
कुल	32

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	1
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	6
गैंग बीट / लेवल जिंग / फॉग पोस्ट / एफएम / कर्व / ओएचई मस्ट की पेंटिंग	26
पेट्रोलिंग-कोल्ड वेदर	68
अन्य विभागीय काम में	13
चौकीदार	7
कुल	131

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 94 + 63 + 43 + 82 = 282

2.13.11 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (फरवरी 2019) :-

ट्रेकिंग घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
केजुअल स्लीपर्स रिन्यूवल	4
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	60
टॉंग रेल, क्रॉसिंग, सेज और फिटिंग की ग्रीसिंग	9
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	6
टी / आउट्स में सुस्त ध्यान	5
रेल जोड़ों का ध्यान	3
स्विच / सेज बदलना	5
ट्रेक मशीन के साथ	8
वेल्डिंग टीम के साथ	4
कुल	104

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	24
कीमेन ड्यूटी पर	28
रेल डॉली / डिपलारी कार्य	6
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	7
कुल	65

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
पुल का रखरखाव	4
कार्य स्थल संरक्षण	59
कुल	63

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	19
ट्रेक / जंगल की सफाई और घास काटना	4
पेट्रोलिंग-कोल्ड वेदर	82
अन्य विभागीय काम में	27
चौकीदार	2
कुल	134

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 104 + 65 + 63 + 134 = 366

2.13.12 DTM / Gang की मासिक कार्य प्रगति 19K (मार्च 2019):-

ट्रेफिक घनत्व (T) से प्रभावित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
गिट्टी की सफाई, ड्रेसिंग और बॉक्सिंग	93
टॉंग रेल, क्रॉसिंग, सेज और फिटिंग की ग्रीसिंग	5
दलदली भूमि और वहाँ के ट्रेक पर ध्यान	6
ट्रेक मशीन के साथ	49
वेल्डिंग टीम के साथ	3
कुल	156

यातायात घनत्व (R) से अप्रभावित नियमित गतिविधियाँ	
कार्य	ट्रेकमेंट
पटरी और उसके आसपास वानस्पतिक सफाई	24
डीएमटी ट्रेन कार्य	3
लेवेल क्रॉसिंग जनगणना	2
सामग्री का पीछा करते हुए	1
सामग्री स्टैकिंग / संग्रह	1 1
कीमेन ड्यूटी पर	48
रेल डॉली / डिपलारी कार्य	6
विशेष कार्य में अनुबंध श्रमिक के साथ काम करना	1
कुल	96

साइट विशिष्ट गतिविधियाँ (S)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्य स्थल संरक्षण	40
कुल	40

सहायक रखरखाव गतिविधियाँ (एम)	
कार्य	ट्रेकमेंट
कार्यालय के काम में सहायता करना	19
पेट्रोलिंग-कोल्ड वेदर	28
अन्य विभागीय काम में	10
कुल	57

कुल ट्रेक मेन डेज़ = 156 + 96 + 40 + 57 = 349

तृतीय अध्याय

आलोचनात्मक विश्लेषण और सिफारिशें :-

3.1 01.04.2019 को बिलासपुर डिवीजन के वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड इकाई की वास्तविक कर्मचारी संख्या 266 है और 350 स्वीकृत पद (84 रिक्तियाँ) हैं। अधिकारी / पर्यवेक्षक / कर्मचारियों के साथ चर्चा और प्रत्यक्ष टिप्पणियों से वर्तमान कार्यभार के आधार पर रेल पथ कर्मचारी (ट्रेकमैन) की आवश्यकता का आकलन किया गया है। वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) के प्रमुख कार्य जोनल अनुबंध के तहत किए जा रहे हैं, हालांकि मरम्मत कार्य खराब स्पॉट पर ध्यान, रेल की स्नेहन, गश्त ड्यूटी, दुर्घटना राहत आदि के लिए रेल पथ कर्मचारी द्वारा भाग लिया जाता है। इस प्रकार, कार्यभार की वर्तमान समीक्षा से पता चलता है कि वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) इकाइयों का कार्यभार विभागीय तौर पर कम हो गया है।

ट्रेक मशीन की उपयोगिता ने ट्रेक मेंटेनर्स के कार्यभार को काफी कम कर दिया है। वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधिकार क्षेत्र में, लगभग 116 किमी ट्रेक की लंबाई का रख-रखाव विभिन्न ट्रेक मशीनों द्वारा किया गया जाता है। (पैरा 2.12)

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, बिलासपुर डिवीजन में वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड रोड इकाई के लिए गैंग स्ट्रेथ (ट्रेकमैन) की आवश्यकता का आकलन निम्नानुसार किया गया है:

3.2 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधिकार क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में सैम्पल डी टी एम / गैंग बीट 19K का मासिक कार्य प्रगति में निम्नानुसार सारणीबद्ध है: -

महीना	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	संपूर्ण
मैन डेज़	396	329	349	250	400	404	353	369	371	282	366	349	4218

3.3.1 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के तहत ट्रेक मेंटेनर की आवश्यकता :-

पिछले एक वर्ष (अप्रैल 18 से मार्च -19) की वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के तहत नमूना गैंग नंबर 19K प्रदर्शन का सारांश निम्नानुसार है: -

गतिविधि के प्रकार	कुल मैन डेज़
कुल गतिविधियों के लिए वार्षिक उपयोग (टी + आर + एस + एम)	4218
औसत ट्रैकमैन प्रति दिन उपयोग किया	(4218/294)=14

सैम्पल गैंग के ऊपर मौजूदा कार्य भार के अनुसार, ट्रैक रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले औसत ट्रैक मेंटेनर (पेट्रोलिंग और कारीगर कर्मचारियों को सहायता सहित) 14 (4218 मैनडेस/294 कार्यदिवस) हैं जिसमें मेट और कीमैन शामिल है।

01 ट्रैक मेंटेनर प्रति गैंग स्टेशन मास्टर और साइट पर्यवेक्षकों के बीच इंजीनियरिंग ब्लॉक के समय समन्वय के लिए उपयोग किया जा रहा है।

प्रत्येक गैंग से प्रतिदिन औसत 02 ट्रैक मेंटेनरों का उपयोग आपातकालीन / एहतियाती कार्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है जैसे बोल्ट / पेड गिरने, कमजोर स्थानों का सर्वेक्षण, तटबंधों, सुरंगों, कटिंग, लेवल क्रॉसिंग और पुलों, सही दूरी के लिए ट्रैक के वर्गों की जाँच करना और सही ऊंचाई, रखरखाव की जरूरतों आदि की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आदि।

इसलिए, औसत कुल ट्रैक मेंटेनर प्रति दिन प्रति डीटीएम = 14 + 01 + 02 = 17 की आवश्यकता हैं।

एलआर @ 12.5 % = 17 + 2 = 19

वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के तहत कुल गैंग 13 है। वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड प्रभाग के अंतर्गत कुल अनुभाग के लिए समान आवश्यकता लागू करने के बाद, ट्रैक मेंटेनर की कुल आवश्यकता $19 \times 13 = 247$ के लिए आता है।

3.3.2 लेवल क्रॉसिंग गेट गतिविधियों के लिए ट्रैक अनुरक्षकों की आवश्यकता :-

लेवल क्रॉसिंग गेट संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्येक लेवल क्रॉसिंग के लिए ट्रैकमैन की आवश्यकता 03 + 01 एलआर / आरजी = 04 होगी। वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के अधिकार क्षेत्र में नियंत्रण रेखा गेट की कुल संख्या 06 (पैरा 2.7.3) है। इसलिए 06 लेवल क्रॉसिंग गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक कुल श्रमशक्ति $06 \times 4 = 24$ है।

3.3.3 पुश ट्रॉली गतिविधियों के लिए ट्रैक मेंटेनरों की आवश्यकता :-

ट्रैकमैन प्रति पुश ट्रॉली की आवश्यकता 04 + 01 एलआर = 05 है। वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड (पैरा-2.7.4) के तहत 03 पुश ट्रॉली का उपयोग किया जाता है।

इसलिए 03 पुश ट्रॉली गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक कुल जनशक्ति $03 \times 5 = 15$ आती है।

3.3.4 स्टोर गतिविधियों के लिए ट्रैक मेटेनर की आवश्यकता :-

वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड के तहत एक स्टोर है। प्रत्येक स्टोर में 1506 स्टोर आइटम (स्टॉक और नॉन-स्टॉक दोनों) मौजूद हैं। वर्ष 2018-19 में, ट्रैक, डीएसडी / बिलासपुर और अन्य रेलपथ इकाइयों से प्राप्त सामग्री 419 बार हुई है। और कार्य स्थल के लिए जारी की गई सामग्री एक वर्ष में 1907 बार है।

स्टोर अनुभाग में तैनात कर्मचारियों को स्टोर की वस्तुओं की लोडिंग / अनलोडिंग, उचित क्रम में व्यवस्था करने, संबंधित रजिस्ट्रों को बनाए रखने, साइट पर सामग्री के परिवहन, जारी की गई सामग्रियों के डीएस -8 और साइट पर चल रहे स्टोर के चौकीदार की झूटी का कार्य दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर रखरखाव कार्य(पैरा 2.7.5) में भी उपयोग किया जाता है।

स्टोर / कार्यालय से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्य अध्ययन टीम द्वारा मूल्यांकन किए गए स्टोर गैंग के लिए ट्रैकमैन की आवश्यकता 08 + 01 एलआर 09 होगी ।

तो, वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड के तहत ट्रैक मेटेनर की कुल आवश्यकता = 247 + 24 + 15 + 09 = 295 आती है।

वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई में ट्रैक मेटेनर श्रेणी का स्वीकृत कैडर 327 है।

इसलिए, ट्रैकमैन के स्वीकृत कैडर में कुल कमी 327 - 295 = 32 होगी।

इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि ट्रैक मेटेनर के 32 चिन्हित अधिशेष रिक्त पदों को बिलासपुर डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग से अभ्यर्पण किया जाए।

3.4 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की आवश्यकता :-

वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) इकाई पेंड्रारोड रोड का क्षेत्राधिकार 796/43 से 868/12 (ईटीकेएम: 202.524) है। कुल खंड में 13 बहुउद्देशीय गैंग और 01 स्टोर गैंग है। पर्यवेक्षकों के कार्य भार को देखते हुए कार्य अध्ययन दल ने कार्यालय के समग्र प्रभारी, समय-समय पर निरीक्षण, प्रस्ताव तैयार करने, अनुमान लगाने और मुख्यालय गैंग की देखरेख के लिए 01 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) की आवश्यकता हैं। 10 वरि. अनु. अभियंता/कनि. अभियंता (रेलपथ) प्रति गैंग को प्रभारी और साइट/ रूटीन/ अतिरिक्त रखरखाव कार्य और ट्रैक मशीन / एसटीएम कार्यक्रम जैसे विशेष कार्य के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 वरि. अनु. अभियंता/कनि. अभियंता (रेलपथ) को उचित ठहराया जाता है।

3.5 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड इकाई में लिपिकीय कर्मचारियों की आवश्यकता :-

वर्तमान में 02 लिपिकीय कर्मचारी (01 Ch.OS और 01 OS) का उपयोग मस्टर रोल / यात्रा भत्ता बिल /मकान अधिग्रहण जैसे कर्मचारियों के स्थापना मामलों से निपटाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वे अधिग्रहण / अवकाश ज्ञापन, पास/पीटीओ का मुद्दा, डी एंड ए के मामले, पत्राचार का काम और स्टोर से संबंधित सभी कार्य जैसे डीएमटीआर/लेजर के रखरखाव, माँग पत्र तैयार करना, सामग्री की आपूर्ति और संग्रह, स्कैप सामग्री के निपटान के कार्य करते हैं। अतः 02 लिपिकीय कर्मचारी की पदस्थापना उचित हैं।

3.6 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड इकाई में कारीगरों की आवश्यकता :-

1. **पेंटर:-** पेंटर श्रेणी का उपयोग इंजीनियरिंग सामग्री की पेंटिंग गतिविधियों के लिए किया जाता है और वर्तमान में इकाइयों में कोई पेंटर नहीं है। चूंकि पेंटिंग का काम नॉन-कोर एक्टिविटी के तहत आता है और डायरेक्ट ट्रेन मूवमेंट से संबंधित नहीं है। इसलिए, इस गतिविधि को आउटसोर्स किया जाना चाहिये और पेंटर के 01 रिक्त पद को अभ्यर्पण किया जा सकता है।
2. **वेल्डर:-** मौजूदा 01 वेल्डर का उपयोग रेल वेल्डिंग कार्य के लिए किया जाता है जो कि स्वीकृत संख्या के समान और उचित है।
3. **ग्राइंडर :** - मौजूदा 01 ग्राइंडर का उपयोग ग्राइंडिंग कार्य के लिए किया जाता है जो कि स्वीकृत संख्या के समान और उचित है।
4. **ब्लैक स्मिथ:-** मौजूदा 01 ब्लैक स्मिथ का उपयोग स्मिथ के काम के लिए किया जाता है। वर्क स्टडी टीम को वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के तहत अनुभाग के 13 गैंग के कार्यों को कवर करने के लिए 02 ब्लैक स्मिथ की उचित आवश्यकता पाई जाती है।
5. **ल्यूटर:-** मौजूदा 01 ल्यूटर जो उचित पाया जाता है जो वेल्डिंग के दौरान ल्यूट गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है।
6. **ईसीआर :-** बढई गतिविधि एक गैर-कोर गतिविधि है और सीधे ट्रेन यातायात और सुरक्षा से संबंधित नहीं है और इस गतिविधि को आउटसोर्स किया जा सकता है। इसलिए, ईसीआर के 01 रिक्त पद अभ्यर्पण के लिए प्रस्तावित है।
7. **एमवीडी:-** रेलवे बोर्ड के अनुसार अर्ध शासकीय पत्र ई (एमपीपी) 2006/1/89 दिनांक 04.10.2006 (Pt.No.-41), वाहन चालकों और वाहन अनुरक्षण स्टाफ को कम करने वाली श्रेणी के रूप में लिया जाएगा और आउटसोर्स करने के लिए गतिविधि की जाएगी। इसलिए, एमवीडी के 01 रिक्त पद अभ्यर्पण के लिए प्रस्ताव है।

तो, वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड के तहत ट्रैक मेंटेनर की कुल आवश्यकता

$$01 + 01 + 02 + 01 = 05$$

3.7 चौकीदार गतिविधियों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता :-

चौकीदार :- चौकीदार कर्मचारियों को कार्यालय, स्टोर आदि में केयर टेकर के रूप में ई आई रोस्टर में उपयोग किया जाता है। मौजूदा चौकीदार गतिविधि के लिए 02 कर्मचारी है और स्टोर और कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए 02 चौकीदार की उचित आवश्यकता पाई जाती है।

3.8 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड इकाई के लिए कर्मचारियों की कुल आवश्यकता :-

अनुभाग / कार्य	वरि. अनु. अभियंता/कनि. अभियंता (रेलपथ)	लिपिकीय कर्मचारी (ओएस/क्लर्क)	कारीगर (ईबीएस/ ल्यूटर / ग्राइंडर/ पेंटर)	ट्रैक मेटेनर				चौकीदार
				स्टोर	एलसी गेट	ट्राली	अनुभागीय कार्य	
कार्यालय के काम के लिए:								
कार्यालय का प्रभारी	1	0	0	0	0	0	0	0
अनुभागीय प्रभारी	10	0	0	0	0	0	0	0
कार्यालय / स्थापना कार्य	0	1	0	0	0	0	0	0
स्टोर का काम	0	1	0	8	0	0	0	0
उप - योग	11	2	0	8	0	0	0	0
फील्ड कार्य के लिए:								
वेल्डिंग, लुटरिंग, पीस और स्मिथ गतिविधियाँ	0	0	5	0	0	0	0	0
स्तर पार करने की गतिविधियाँ	0	0	0	0	18	0	0	0
मोटर ट्रॉली / पुश ट्रॉली गतिविधियाँ	0	0	0	0	0	12	0	0
ट्रैक मेटेनेंस का काम	0	0	0	0	0	0	221	0
चौकीदार की गतिविधि	0	0	0	0	0	0	0	2
उप - योग	0	0	5	8	18	12	221	2
आरजी / एलआर	-	-	-	1	6	3	26	-
कुल योग	11	2	5	9	24	15	247	2

3.9 वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंडारोड इकाई में कर्मचारियों की श्रेणीवार आवश्यकता :-

पर्यवेक्षक	11
लिपिकीय कर्मचारी	02
शिल्पकार	05
ट्रैक मेटेनर	295
चौकीदार	02
कुल आवश्यकता	315

3.10 कर्मचारी संवर्ग की स्वीकृत और प्रस्तावित संख्या: -

वर्ग	सं.	पद	स्तर	स्वीकृत	वास्तविक	प्रस्तावित	अतिरिक्त
पर्यवेक्षक	1	वरि पर्यवेक्षक	एल 7	7	2	7	00
	2	जेई	एल 6	4	9	4	00
लिपिकीय कर्मचारी	3	मु. ओएस	एल 7	0	1	0	00
	4	ओएस	एल 6	2	1	2	00
शिल्पकार	5	चित्रकार	एल 5	1	0	0	01
	6	वेल्डर	एल 5	1	1	1	00
	9	ग्राइंडर	एल 5	1	1	1	00
	10	लुटर	एल 4	1	1	1	00
	11	ईबीएस	एल 6	2	1	2	00
	12	ईसीआर	एल 5	1	0	0	01
	13	एमवीडी	एल 6	1	0	0	01
	14	चौकीदार	एल -1	2	1	2	00
ट्रैक मेंटेनर	15	ट्रैक मेंटेनर- I	एल -5	20	11	20	00
	16	ट्रैक मेंटेनर- II	एल -4	41	15	41	00
	17	ट्रैक मेंटेनर- III	एल -2	75	67	75	00
	18	ट्रैक मेंटेनर- IV	एल -1	191	155	159	32
कुल				350	266	315	35

3.11 अनुशंसाएं एवं सुझाव:

उपरोक्त आलोचनात्मक विश्लेषण ऐबम प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें और सुझाव किया जाता है:

अनुशंसाएं:

3.11.1 मौजूदा कार्य भार को देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि पैरा 3.4.1 से 3.8 में दिए गए विवरण के अनुसार , वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई के तहत कुल संवर्ग की आवश्यकता स्वीकृत 350 पदों के विरुद्ध 315 आती है। इस प्रकार 35 चिन्हित अधिशेष रिक्त पदों [01-पेंटर, 01-ईसीआर, 01-एमवीडी और 32- ट्रैक मेंटेनर] को वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई से अभ्यार्पण करवाना चाहिए।

3.11.2 ट्रैक मेंटेनर के रिक्त पदों के अभ्यार्पण के बाद मनी वैल्यू का उपयोग ट्रैक मशीन के रख-रखाव

कार्य के लिए आवश्यक पदों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

3.11.3 पर्यवेक्षकों श्रेणी में वरि. अनु. अभियंता/कनि. अभियंता (रेलपथ) के रिक्त पद, कारीगर वर्ग, ट्रैक मेंटेनर श्रेणी के पद संविदात्मक और विभागीय सिविल इंजीनियरिंग कार्य के बेहतर निगरानी के लिए भरा जाना चाहिए।

3.11.4 दृश्यता के लिए ट्रैक और नाली की सफाई, बोर्ड/रेल की पेंटिंग, नियंत्रण रेखा गेट के मरम्मत और ट्रैक / जंगल की सफाई और घास काटना की तरह रेलपथ से कुछ गतिविधियों में 80% तक आउटसोर्स और विभागीय के माध्यम से शेष 20% कराया जा सकता है।

सुझाव:

3.11.5 ट्रैफिक ब्लॉक पटरियों के रखरखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है; यह बताया गया कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ब्लॉक को मंजूरी देना बहुत कठिन काम है। आवश्यकतानुसार ब्लॉक के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए।

3.11.6 जरूरत के अनुसार आपातकालीन कार्य को पूरा करने के लिए मोबाइल मेंटेनेंस गैंग की स्थापना की जा सकती है।

अध्याय चतुर्थ

4.0 वित्तीय मूल्यांकन और परिणाम: -

35 चिन्हित अधिशेष पदों के अभ्यार्पण के कारण बचत: -

पद	वेतनमान	स्तर	अभ्यार्पण करने के लिए पोस्ट की संख्या	औसत वेतन	प्रति कर्मचारी प्रति माह लागत (औसत मूल वेतन + डीए @ 12%)	प्रति माह कुल लागत (₹ में)	प्रति वर्ष कुल लागत (₹ में)
पेंटर	29200-92300	L-5	01	60750	68040	68040	816480
ईसीआर	19900-63200	L-2	01	41550	46536	46536	558432
एमवीडी	29200-92300	L-5	02	60750	68040	68040	816480
ट्रैक मेंटेनर	18000-56900	L-1	32	37450	41944	1342208	16106496
कुल			35				182,97,888

रेलपथ/ यूनिट बिलासपुर डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग के वरि. अनु. अभियंता (रेलपथ) पेंड्रारोड इकाई से **35 खाली अधिशेष पदों** (01 पेंटर, 01 ईसीआर, 02 एमवीडी और 32 ट्रैक मेंटेनर) के अभ्यार्पण की वजह से **₹ 182,97,888** यानी 183 लाख की बचत की जा सकती हैं और अभ्यार्पण ज्ञापन मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा जारी किया जाये।